


वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

अंशकालिक आधिकारिक/सरकारी नामित निदेशक

श्री एम. सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव उद्यम नीति एवं विधिक (ईपीएल), डीओएस
श्रीमती जी जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), डीओएस

इसरो नामित निदेशक

श्री शांतनु भटावडेकर

श्री डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा (26.9.2022 से 31.12.2022 तक)

श्री एम. मोहन (26.9.2022 से)

स्वतंत्र निदेशक

श्री पी एस राघवन (1 अगस्त, 2022 तक)

डॉ. अजीत टी कलघाटगी

श्री कमल बाली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ए. जॉन मॉरिस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

नंबर 902, बी विंग, मित्तल टॉवर

एम.जी. रोड

बैंगलूरु 560 001

बैंकर्स

केनरा बैंक

आरएमवी एक्सटेंशन. शाखा

बैंगलूरु 560 080

भारतीय स्टेट बैंक

डॉलर कॉलोनी शाखा

बैंगलूरु 560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय

अंतरिक्ष भवन परिसर

बैंगलूरु-560 094

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया	9
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	10
वित्त वर्ष 2022-23 हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	17
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	25
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'क'	32
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ख'	36
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक 'ग'	38
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी	39
तुलनपत्र	41
लाभ तथा हानि लेखा	43
नकद प्रवाह विवरण	44
एक्विटी में परिवर्तन की विवरण	46
वित्तीय विवरणी हेतु नोट	47
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में अन्य नोट	88

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणी सहित **इकतीसवीं** वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का कारोबार ₹ 3,816.10 लाख था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 18,164.62 लाख था। पिछले वर्ष के ₹ 4,854.22 लाख की तुलना में करोपरान्त लाभ ₹ 2,495.75 लाख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

भौगोलिक रूप से फैले हुए भारत जैसे देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह संचार व्यवस्था से प्रसारण प्रदान किया जा सकता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनोखेपन और लाभ का कोई विकल्प नहीं है। यह निर्णायक राष्ट्रव्यापी संचार संरचना की अभिवृद्धि और जहाँ भौतिक प्रसारण या अन्य प्रकार का संयोजन संभव नहीं है, के अंतर की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैटकॉम के अनुप्रयोग जैसे टेलीविजन, डीटीएच, डीएसएनजी, वीसैट टेलीफोनी सेवाएँ, बैंकहॉलिंग, गतिशीलता आदि ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

कोविड महामारी के चलते, इस क्षेत्र में वृद्धि कमोवेश थम-सी गयी है। प्रचालनीय चैनलों की संख्या में कमी आई और विज्ञापन से प्राप्त राजस्व में भी भारी गिरावट हुई है। बाज़ार की सुस्त स्थिति के

आपकी कंपनी ने एलईओ/एमईओ खंड में अवसर तलाशने के लिए विभिन्न व्यापारिक प्रयास किए हैं। कंपनी ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के साथ सी बैण्ड पट्टे पर देने के लिए करार तामील किया है। भारत में अपने उपग्रह की सी बैण्ड क्षमता हेतु पुनर्विक्रेता बनने के लिए विदेशी प्रचालकों से कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं।

आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष खंड प्रभार से व्यापार में हुई भारी कमी को देखा है जिस कारण कंपनी के राजस्व और लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है। व्यापार अंतरिक्ष खंड प्रभार में कमी की इस प्रवृत्ति के कारण कंपनी के भविष्य के राजस्व और लाभ पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

आपकी कंपनी ने सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली (ए.आइ.एस) प्रदान करना जारी रखा है। आपकी कंपनी नए सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए भी अंतरिक्ष आधारित ए.आइ.एस के आपूर्ति हेतु प्रयास कर रही है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एल.ई.ओ. पी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। एम.सी.एफ एवं इस्ट्रैक के भू-स्टेशन के उपयोग से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी एवं टीटीसी सहायता प्रदान की गई थी।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटीना की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है।

आपकी कंपनी एक रणनीतिक ग्राहक को परीक्षण सेवाएँ भी प्रदान कर रही है और उप प्रणालियों, उपग्रह प्रणालियों और परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय विकास के अवसरों की भी तलाश कर रही है।

प्रमोचन सेवाएँ एवं अवसंरचना परियोजनाएँ

आपकी कंपनी अंतरिक्ष क्षेत्र के विनियमन के मद्देनजर विभिन्न भारतीय कंपनियों और स्टार्ट-अप के साथ प्रक्षेपण/उपग्रह उप-प्रणालियों की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय विकास के अवसरों की तलाश कर रही है।

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी, रिसोर्ससैट-2 उपग्रह से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह हेतु, आँकड़ा उत्पादों तथा डाउनलॉक सेवाओं का विपणन करती रही है। वर्ष के दौरान, एक उपग्रह से एक अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन प्रचालन को जारी रखा गया | आपकी कंपनी ने विश्वभर में आइआरएस उत्पादों को प्रचारित करने के लिए एक पुनः विक्रेता करार पर हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक पुनः विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके अलावा,

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.22 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	11,592.92	23,244.49
कुल व्यय	5,023.21	19,473.66
मूल्यहास एवं कर पश्चात् लाभ	6,569.71	3,770.83
घटाइए: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	78.51	146.55
घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान	1,366.89	1,075.20
घटाइए: आस्थगित कर	270.09	53.33
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	4,854.22	2,495.75
अन्य व्यापक आय/(हानि)	1.19	9.42
कुल व्यापक आय	4,855.41	2,505.17
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	4,855.41	2,505.17

आपकी कंपनी, वैश्विक एवं भारतीय ग्राहकों के लिए भूस्थानिक एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर आँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी, जहाँ घरेलू क्षमता उपलब्ध नहीं है, विदेशी उपग्रह प्रचालकों से सामरिक प्रयोक्ताओं को अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) आँकड़े प्रदान करती रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी सामरिक प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी ध्यान दे रही है।

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने व्यापारिक परिचर्चा एवं व्यापारिक संभावनाएँ तलाशने हेतु एनट्रिक्स का दौरा किया।

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के पत्रांक 5/2/2016 दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का

कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹ 680 लाख के प्रदत्त एक्विटी शेयर पूँजी पर ₹ 7,434.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 7,570.00 लाख) लाभांश के तौर पर दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। यह 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए 153% करोपरान्त लाभ इंगित करता है।

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी व्यावसायिक क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की जोरदार खोज कर रही है। सरकार की अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना है ताकि निजी क्षेत्र में काम करने वाली कई अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति मिल सके। आपकी कंपनी अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ विदेशी और भारतीय दोनों व्यापारियों के साथ संभावित सहयोग के माध्यम से उभरते व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने की उम्मीद करती है ताकि व्यवसाय का विस्तार किया जा सके।

सैटकॉम व्यवसाय क्षेत्र में, टीवी और डीएसएनजी के लिए सी बैंड क्षमता प्रावधान एक खुला बाजार है और एन्ट्रिक्स भारत में विभिन्न भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सी बैंड क्षमता के विपणन और पुनर्विक्रय के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है।

कंपनी ने विदेशी एआईएस ऑपरेटरों से एआईएस डेटा की आपूर्ति करने और विभिन्न रणनीतिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में अच्छी प्रगति की है। सैटकॉम और ईओ डेटा डोमेन में विभिन्न अवसर उभर रहे हैं और अंतरिक्ष वाणिज्यिक व्यवसाय

के संभावित विकेंद्रीकरण के साथ एन्ट्रिक्स उनका फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

आपकी कंपनी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में ठोस व्यावसायिक अवसर सामने आएंगे और कंपनी अपने व्यावसायिक क्षितिज का विस्तार करने में सक्षम होगी।

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है। इस कारण, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते हैं।

आपकी कंपनी के मंडल में सात(7) निदेशकगण हैं अर्थात् एक(1) प्रकार्यात्मक निदेशक, दो(2) सरकार द्वारा नामित निदेशकगण, तीन (02) गैर-सरकारी अंशकालिक (इसरो नामित) निदेशक एवं दो (02) गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण, सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशद अनुभव वाली नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं।

श्री डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा, उप. निदेशक, यूआरएससी, बैंगलूरु और श्री एम. मोहन, सहायक निदेशक (आरएंडडी), वीएसएससी, तिरुवनंतपुरम को 26 सितंबर, 2022 से इसरो के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री पी.एस. राघवन 1 अगस्त, 2022 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। श्री डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा, सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप 31.12.2022 से नामित निदेशक नहीं रहे। आपके निदेशक श्री पी.एस. द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करते हैं। राघवन और डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा को क्रमशः स्वतंत्र निदेशक और नामांकित निदेशक नियुक्त किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में, निदेशकमंडल,

अपने उत्तम ज्ञान और योग्यता के आधार पर यह पुष्टि करते हैं कि:

वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्त्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

- i. वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्त्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- iv. निदेशकों ने “जारी व्यापार” के आधार पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;
- v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर

जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण और अच्छे कॉर्पोरेट शासन हेतु समकालीन माँग के साथ कंपनी के प्रत्येक निर्णय में कॉर्पोरेट शासन के मूलभूत सिद्धांत और दर्शन का अक्षरशः पालन किया जाता है। कंपनी में, मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार आचार संहिता और नैतिकता लागू की गई हैं। वार्षिक आधार पर सभी संबंधित सदस्यों द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मुख्य कार्यकारी द्वारा इस बाबत की गई घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट शासन पर विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सी.पी.एस.ई के पुनरीक्षित वर्गीकरण मानक के अनुरूप डी.पी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए “उत्कृष्ट” श्रेणी मिलने के आसार हैं।

प्रशिक्षण एवं अभिवृद्धि

वर्ष के दौरान, कर्मिकों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रतिभा परिमार्जित होगी एवं उनकी जीवन-वृत्ति में प्रगति हो सकेगी।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं. 35 के तौर पर संलग्न है। संबंधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे।

सतर्कता प्रक्रिया

मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है। यह कॉर्पोरेट शासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण

प्रणाली की स्थापना की है। हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। हमारे पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्ति नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है।

एक बाह्य लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान मेसर्स राव असोसियेट्स, सनदी लेखाकार को, प्रतिवेदन-काल के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य सौंपा गया था। इससे प्रणाली एवं नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उनकी रिपोर्ट की समीक्षा मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षण समिति द्वारा भी की गई है। सुधार-कार्रवाई की पहल के साथ आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट की परिचर्चा प्रबंधन के साथ हुई है जिसकी मंडल की लेखापरीक्षण समिति ने भी समीक्षा की है। लेखापरीक्षण समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है।

मंडल की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

मंडल-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित मंडल-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

मंडल एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमशः मंडल की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए उपयोग

करती है। कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी में, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति स्थापित है। कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति की नीति, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से बचाव और रोकथाम तथा इस तरह की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान आईसी को एक शिकायत प्राप्त हुई; और शिकायत की प्रकृति के आधार पर और प्रारंभिक जांच के बाद, आईसी ने मामले को शिकायत निवारण समिति को भेज दिया, क्योंकि यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं पाया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के मद्देनजर इसरो मुख्यालय द्वारा आयोजित जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम में भाग लिया था। इस अवधि के दौरान आईसी की दो बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, अधिनियम के अनुसार आवश्यक वार्षिक रिटर्न स्थानीय शिकायत समिति के पास दाखिल किए गए थे।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, पठ्य कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति बनाई है। सी.एस.आर एवं एस.डी समिति आवधिक अंतराल पर बैठक करके विचार-विमर्श करती है और सी.एस.आर पहल के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए

अनुमोदन प्रदान करती है, साथ ही, जारी परियोजनाओं के कार्यों की गति और प्रगति की निगरानी करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एन्ट्रिक्स ने सी.एस.आर क्रियाकलापों पर ₹ 324.79 लाख की अब राशि खर्च की है।

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी.एस.आर समिति की संरचना शामिल है, **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 26 अगस्त, 2022 के पत्र सं. सीए.वी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1)/96 द्वारा मेसर्स ए. जॉन मॉरिस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, को 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

आंतरिक लेखापरीक्षक: आपकी कंपनी ने मेसर्स राव असोसिएट्स, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए नियुक्त किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद शामिल की गई है।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 12,750.64

लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभांश, शुल्क एवं कर के रूप में ₹ 9,811.33 लाख की राशि का योगदान दिया है।

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में एन्ट्रिक्स ने समीक्षा अवधि के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखा। आपकी कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 53 आरटीआई आवेदनों और 01 अपील के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करके अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया था। इसके अलावा, आरटीआई आवेदनों/अपील की त्रैमासिक रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को समय पर प्रस्तुत की गई। नागरिकों तक जानकारी की पहुंच बनाने के लिए और कंपनी की स्थितिप्रज्ञता तथा कॉर्पोरेट प्रशासन के भाग के रूप में, आपकी कंपनी की वेबसाइट में सक्रिय खुलासे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने सीआईसी द्वारा अनिवार्य किए गए वर्ष 2021-22 के लिए आरटीआई अधिनियम, 2013 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण की लेखापरीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है।

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

एन्ट्रिक्स में कुल 16 स्थाई कार्मिक कार्यरत हैं। [वर्ग क: व्यापार खण्ड-05; वर्ग क: (प्रशासन) 05; वर्ग ख: (प्रशासन) - 03; वर्ग ग: (प्रशासन) - 03] कार्यरत हैं। 02 कर्मचारी प्रतिनियुक्त पर हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा.) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति छह थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स में, मंडल द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है और विभिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिम की चर्चा आंतरिक समीक्षा बैठक एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन बैठक में की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना शून्य है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम की रिपोर्ट अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर हिंदी के उपयोग को लागू कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए भेजा जाता है।

आपकी कंपनी 'सोलिस' (अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना) लागू कर रही है जो कर्मियों को अपना अधिकतम आधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की चार राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। जिनमें कार्यसूची बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।

आपकी कंपनी की वेबसाइट वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आने वाले वर्षों में भी अधिक से अधिक योगदान देने के लिए इसी भावना और गति को बनाए रखेगी।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अती प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान, कंपनी के विक्रेताओं, बैंकों, सी एवं ए.जी, वैधानिक/आंतरिक लेखापरीक्षकगण, अध्यक्ष-लेखापरीक्षण समिति, मंडल की अन्य उपसमितियों के अध्यक्ष, सलाहकार, आदि से निरंतर मिलने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं

उनकी ओर से

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 05 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

(राशि लाख में)

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के विवरण			
	यूएसडी	यूरो	समतुल्य राशि ₹ लाख में
विदेशी मुद्रा अर्जन			
निर्यात से	2.68	-	214.99
तकनीकी परामर्शिता से	1.74	-	142.32
कुल	4.42	-	357.33
विदेशी मुद्रा निर्गम			
यात्रा के एवज़ में	0.02	-	1.88
आयात की लागत के एवज़ में	1.62	-	132.91
तकनीकी सेवाओं के एवज़ में	16.18	-	1,308.73
अन्य सेवाओं (विधिक) के एवज़ में	9.39	2.77	991.60
कुल	27.21	2.77	2,435.12

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्र.सं.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों पर कोई लेखापरीक्षक की टिप्पणी नहीं है।	लागू नहीं

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों पर कंपनी के दर्शन का संक्षिप्त वक्तव्य.

1.1 कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर बहुत जोर देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियां और प्रथाएं ही वह इमारत बनाती हैं जिस पर कॉर्पोरेट उद्यम संरचित होता है और कॉर्पोरेट उद्यम, इसकी नीतियों और योजनाओं की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 मंडल के सदस्यों का संरचना एवं विवरण:

2.1.1 एनट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम मिश्रण शामिल है। मंडल में एक महिला निदेशक है। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंडल की संरचना इस प्रकार है:

(क) **कार्यात्मक एवं पूर्णकालिक निदेशक:**

(i) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

(ख) **अंशकालिक आधिकारिक/ सरकारी नामित निदेशक:**

(i) श्री एम. सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (ईपी एंड एल), अंतरिक्ष विभाग

(ii) श्रीमती जी जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग

(ग) **अंशकालिक गैर-आधिकारिक/स्वतंत्र निदेशक:**

(i) श्री पी एस राघवन, भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत्त) (1 अगस्त, 2022 तक)

(ii) डॉ. अजीत टी कलघाटगी, पूर्व निदेशक (आरएंडडी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलूरु

(iii) श्री कमल बाली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) **अंशकालिक गैर-आधिकारिक/नामांकित निदेशक:**

(i) श्री शांतनु भटावडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय

(ii) श्री एम. मोहन, सह निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), वीएसएससी, तिरुवनंतपुरम (26 सितंबर, 2022 से)

(iii) डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा, उप निदेशक, यूआरएससी (26 सितंबर, 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक)

2.1.2 कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्त निदेशक अपनी गतिविधि के संबंधित क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कंपनी के निदेशकों में से कोई भी दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं था या वर्ष के दौरान सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया, जिसमें वह निदेशक है। वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी स्वतंत्र निदेशक के पास सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद नहीं था।

2.1.3 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। इसके बाद सेवा विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी से होगा। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आम तौर पर एसीसी द्वारा की जाती है, शुरुआत में 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। कोई भी विस्तार विस्तार या पुनर्नियुक्ति इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

3. मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

3.1 रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की चार (4) बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी मंडल बैठकों में निदेशकों की औसत उपस्थिति 80% थी। बैठक की तारीखें और ऐसी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	मंडल संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	130	19.07.2022	7	6
2.	131	26.09.2022	8	7
3.	132	28.11.2022	8	6
4.	133	15.02.2023	7	5

व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति यहां अनुलग्नक: I (क) में दी गई है:

3.2 मंडल के सभी सदस्यों ने न केवल मंडल में अपनी नियुक्ति के समय, बल्कि किसी भी मालिकाना, साझेदारी या कंपनी में, व्यक्तिगत क्षमता में या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, अपने व्यक्तिगत, आधिकारिक और अन्य आर्थिक हितों के बारे में मंडल को खुलासा किया था। जब भी ऐसी नियुक्तियाँ हुईं। ऐसे खुलासे हर साल दोहराए जा रहे हैं। मंडल बैठक में किए गए ऐसे खुलासे यहां दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निकाय/कॉर्पोरेट जिसमें निदेशक की रुचि हो	रुचि की प्रकृति
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-
2.	श्रीमती जी जयंती	शून्य	-
3.	श्री एम. सुब्रमण्यम	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	नामांकित निदेशक
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	शून्य	-
5.	श्री एम मोहन	शून्य	-
6.	डॉ. एस वेंकटेश्वर शर्मा	शून्य	-
7.	श्री पी एस राघवन	1. मेमर्स कैबॉरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (सीयूएमआई) 2. वोल्ज़स्की एब्रेसिव वर्क्स (सीयूएमआई की सहायक कंपनी) 3. सीयूएमआई इंटरनेशनल (सीयूएमआई की सहायक कंपनी)	स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक
8.	डॉ. अजित टी कलघाटगी	शून्य	-
9.	श्री कमल बाली	1.वोल्वो ग्रुप इंडिया प्रा .लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		2.वोल्वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट। (इंडिया) लिमिटेड	निदेशक
		3.भारत में स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		4.जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	निदेशक
		5.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर	गवर्नर मंडल
		6. मंडल ऑफ इनवेस्ट कर्नाटक फोरम, कर्नाटक सरकार	निदेशक
		7. जेवियर एम्ल्याँन ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस	निदेशक

3.3 रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निदेशकों के बीच कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया

4. सामान्य बैठकें:

4.1 पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

एजीएम की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
28	2019-20	28-09-2020	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बीईएल रोड बैंगलूरु - 560 094..
29	2020-21	24-09-2021	
30	2021-22	26-09-2022	

व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति यहां दी गई है: अनुलग्नक: I (ग)

4.2 रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी ने "डाक मतपत्र" के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडल समितियाँ, उनका दायरा और उनकी बैठकें:

5.1 31 मार्च 2023 तक एन्ट्रिक्स के पास मंडल की निम्नलिखित तीन (3) समितियाँ थीं:

5.2 लेखापरीक्षा समिति (लेखा) :

5.2.1. लेखापरीक्षा समिति का गठन मूल रूप से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया गया था। बाद में, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य कर रहा है।

5.2.2. लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के तहत उल्लेखित संदर्भ की शर्तों का अनुपालन करती है।

5.2.3. लेखापरीक्षा समिति वर्तमान में मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशकों और एक (1) नामित निदेशक के साथ तीन (3) सदस्यों के साथ कार्य कर रही है। वैधानिक लेखा परीक्षक और निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों, विशेष रूप से अध्यक्ष, को लेखांकन का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है। समिति कंपनी का आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षा करने वाली बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है और वित्त संबंधी सभी मामलों का जायजा लेती है।

5.2.4. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के गठन का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	नियुक्ति की तिथि या समिति में
1	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	से : 02 अगस्त 2019
2	श्री पी एस राघवन	सदस्य	तक : 01 अगस्त 2022
3	डॉ. अजित टी कलघाटगी	सदस्य	से : 02 अगस्त 2019
4	श्री एम. मोहन	सदस्य	से: 15 फरवरी 2023

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

5.2.5. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम दो (2) स्वतंत्र निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति है। लेखापरीक्षा समिति को किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम चार (4) बार मिलना आवश्यक है और दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 5.2.6. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, जो लेखापरीक्षा समिति के सदस्य भी हैं, को संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है जैसा कि डीपीई दिशानिर्देश और इंडस्ट्रीज़ एएस 24 तहत विचार किया गया है।
- 5.2.7. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की औसत उपस्थिति 100% थी। वे तारीखें जिन पर ऐसी बैठकें आयोजित की गईं और उनके निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है::

क्र.सं.	बैठक को की संख्या	तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	20	19.07.2022	3	3
2	21	20.10.2022	2	2
3	22	29.03.2023	3	3

व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति यहां दी गई है: अनुलग्नक: I(ख)

5.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी):

- 5.3.1. समिति का गठन मूल रूप से कार्यकारी और कर्मचारियों के बीच वितरण के लिए परिवर्तनीय वेतन पर निर्णय लेने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए 24 दिसंबर 2013 को निदेशक मंडल द्वारा किया गया था।
- 5.3.2. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री पी एस राघवन	अध्यक्ष	तक: 01 अगस्त 2022
2.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य अध्यक्ष	प्रेषक : 02 अगस्त 2019 प्रेषक: 15 फरवरी 2023
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	प्रेषक: 29 नवंबर 2019
4.	श्री एम. मोहन	सदस्य	प्रेषक : 15 फरवरी 2023

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

- 5.3.3. रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति (सीएसआर एवं एसडी):

- 5.4.1 अप्रैल, 2010 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मंडल ने "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति" (सीएसआर और एसडी) नामक एक समिति का गठन किया। एन्ट्रिक्स की सीएसआर गतिविधियाँ एन्ट्रिक्स की सीएसआर नीति के अनुरूप की जाती हैं।

- 5.4.2 तहत वर्ष के दौरान सीएसआर और एसडी समिति का गठन इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष	से : 02 अगस्त 2019
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	से : 02 अगस्त 2019
3	श्री कमल बाली	सदस्य	से : 15 फरवरी, 2023

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

5.4.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसआर एवं एसडी समिति की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी सीएसआर बैठकों में निदेशकों की औसत उपस्थिति 91% थी। विवरण इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	22	12.07.2022	2	2
2	23	01.08.2022	2	2
3	24	26.09.2022	2	2
4	25	22.11.2022	2	2
5	26	20.03.2023	3	2

व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति यहां दी गई है: अनुलग्नक: I (ख)

6 निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता:

6.1 अप्रैल, 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करते समय व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता को संशोधित किया गया था। यह कोड एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के संबंध में अपनाया गया था।

6.2 निदेशकों ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ दी हैं।

6.3 कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी ऐसे अनुपालन पर एक घोषणा इस प्रकार है:

7 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

7.1 इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सभी मंडल सदस्यों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए "एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

8 मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

8.1 एन्ट्रिक्स के मंडल सदस्य वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में व्यापक और विविध अनुभव है। एन्ट्रिक्स को उनके दृष्टिकोण और ज्ञान से लाभ हुआ है। मंडल के सदस्यों को कंपनी के प्रदर्शन, बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट योजना और मंडल में उनके शामिल होने के भविष्य के दृष्टिकोण पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा, मंडल / समिति/अन्य बैठकों में, व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों/पेशेवरों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। निदेशकों को उनकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में भी एक नीति अपनाई है।

9 खुलासे :

- वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों या उनके रिश्तेदारों के साथ भौतिक और महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं हुआ, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करता हो, सिवाय वेतन, शुल्क, कंपनी के मौजूदा नियमों के अनुसार अनुमत अनुलाभों के।
- कंपनी द्वारा सभी लागू कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन की स्थिति पर एक रिपोर्ट जानकारी और समीक्षा के लिए मंडल के समक्ष रखी जाती है।

- (iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई।
- (iv) एक औपचारिक व्हिसिल ब्लोअर नीति बनाई गई है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों या उसके अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया।
- (v) वित्तीय विवरणों में व्यय की कोई भी मद शामिल नहीं थी जो कंपनी के मंडल के किसी भी सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति की हो, सिवाय कंपनी में लागू मौजूदा नियमों द्वारा अनुमति के।
- (vi) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वर्ष के 12.71% की तुलना में 36.73% रहा। वर्ष के दौरान व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण कंपनी के खिलाफ विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों पर लगने वाली कानूनी शुल्क है।
- (vii) वित्तीय विवरण में व्यय की कोई भी मद शामिल नहीं थी जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं की गई थी। कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है।
- (viii) कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन किया है।

10 प्रमाणपत्र :

10.1 कॉरपोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट नियमित रूप से तिमाही आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रस्तुत की जा रही है।

11 सुसंचार:

11.1 संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने पर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। www.antrix.co.in. कंपनी की वेबसाइट सभी आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी प्रदर्शित करती है।

12 जोखिम प्रबंधन नीति:

12.1 कंपनी के पास मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।

13 लेखापरीक्षा योग्यताएँ:

13.1 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया संलग्न है

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	मंडल	
		कितनी बैठकों में भाग लेना चाहिए	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4
2.	श्री एम. सुब्रमण्यम	4	4
3.	श्रीमती जी जयंती	4	3
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	4	2
5.	श्री एम. मोहन	3	3
6.	डॉ. एस. वैकटेश्वर शर्मा	2	2
7.	श्री पी एस राघवन	1	1
8.	डॉ. अजित टी कलघाटगी	4	3
9.	श्री कमल बाली	4	2

वर्ष के दौरान आयोजित मंडल समितियों की बैठकों और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		लेखा परीक्षा समिति	
		कितनी बैठकों में भाग लेना चाहिए	उपस्थित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लेना चाहिए	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	5	5	लागू नहीं	-
2.	श्री एम. सुब्रमण्यम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
3.	श्रीमती जी जयंती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
5.	श्री एम मोहन	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
6.	डॉ. एस. वैकटेश्वर शर्मा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	श्री पी एस राघवन	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
8.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	5	5	3	3
9.	श्री कमल बाली	1	-	3	3

वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक और उसमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कितनी बैठकों में भाग लेना चाहिए	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	1	1
2.	श्री एम. सुब्रमण्यम	1	1
3.	श्रीमती जी जयंती	1	1
4.	श्री शांतनु भटावडेकर	1	1
5.	श्री एम मोहन	1	1
6.	डॉ. एस. वैकटेश्वर शर्मा	1	1
7.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	1	1
8.	श्री कमल बाली	1	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य है :-

- सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों में मुद्दों की पहचान करना और उन मुद्दों के समाधान के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना।
- सभी स्तरों पर कर्मचारियों में सीएसआर और स्थिरता की भावना पैदा करना और अधिक भागीदारी को प्रेरित करना।
- समाज के सभी वर्गों की वृद्धि और विकास के उद्देश्य से गतिविधियाँ संचालित करना।

2. सीएसआर समिति का गठन :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
क	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	5	5
ख	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य/कार्यात्मक निदेशक	5	5
ग	श्री कमल बाली (से: 15 फरवरी, 2023)	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	1	-

3. सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा की गई जानकारी का वेब-लिंक प्रदान करें:-

(i) सीएसआर समिति का गठन

- <https://www.antrix.co.in/sites/default/files/u59/CSR%20Committee-1.pdf>

(ii) सी.एस.आर नीति -

<https://www.antrix.co.in/sites/default/files/ANTRIX%20CSR%20Policy.pdf>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

कंपनी पर अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व दस करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं था और इसलिए सीएसआर परियोजनाओं का कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निर्धारण के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारण के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से निर्धारण के लिए उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ लाख में)
1	2020-21	0.53	0.53
2	2021-22	0.08	0.08
3	2022-23	28.63	28.63
	कुल	29.24	29.24

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ - ₹ 14662.50 लाख
- (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - ₹ 293.25 लाख
- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष - ₹ 2.99 लाख
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए की जाने वाली आवश्यक राशि यदि कोई हो - ₹ 0.08 लाख
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6a+6b+6c) - ₹ 296.16 लाख
7. (क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ लाख में)	खर्च न की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
324.79	-	-	-	-	-

- (ख) चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष (अनुलग्नक-1) - ₹ 238.22 लाख
- (ग) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण वित्तीय वर्ष (अनुलग्नक-2) - ₹ 86.57 लाख
- (घ) प्रशासनिक उपरी व्यय पर खर्च की गई राशि - शून्य
- (ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि कोई हो - शून्य
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (7b+7c) - ₹ 324.79 लाख
- (छ) निर्धारित अधिक राशि, यदि कोई हो - ₹ 28.63 लाख

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
i.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	293.25
ii.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	324.79
iii.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	31.54
iv.	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	2.91
v.	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारण के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	28.63

8. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ लाख में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	हस्तांतरण तिथि	
1	2019-20	-	1535.82	-	-	-	112.00
2	2020-21	-	820.53	-	-	-	(-)0.53
3	2021-22	-	574.86	-	-	-	(-)0.08
	कुल		2931.21				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाएँ के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

- शून्य

9. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई संबंधित संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करें

- अनुलग्नक-3

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें

- लागू नहीं

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष- सह- प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/
एवं निदेशक वित्त

हस्ता/-

(डॉ. अजीत कलघाटगी)

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि					कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण संख्या
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	राज्य	ज़िला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित राशि में सीएसआर खर्चों में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	कलबुर्गी कैंसर सेंटर, कलबुर्गी को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	कलबुर्गी	106.53	106.53	-	हाँ	किटवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी, बेंगलूर के माध्यम से सीधे	
2	वाणी विलास अस्पताल, बेंगलूर में गायनेक ओटी टेबल्स-2	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	बेंगलूर	23.60	23.60	-	हाँ	सीधे बेंगलूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलूर, कर्नाटक के माध्यम से	
3	कर्नाटक के कोलार जिले में संचालित 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	कोलार	29.85	29.85	-	हाँ	सीधे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कोलार के माध्यम से	
4	कर्नाटक के हसन जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	हसन	30.01	30.01	-	हाँ	सीधे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, हसन के माध्यम से	
5	कर्नाटक के बीदर जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	बीदर	75.25	75.25	-	हाँ	सीधे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बीदर के माध्यम से	
6	कर्नाटक के बागलकोट जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	बागलकोट	75.20	75.20	-	हाँ	सीधे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बागलकोट के माध्यम से	
7	सरकारी स्कूल, बेंगलूर को शौचालय सफाई उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति	(i) निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	बेंगलूर	0.10	0.10	-	हाँ	प्रत्यक्ष	
8	रायचूर जिला, कर्नाटक में कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सृजन और सामुदायिक विकास और महिला सशक्तिकरण	(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और ट्यंगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं शामिल हैं;	नहीं	कर्नाटक	रायचूर	25.80	25.80	-	नहीं	एपेरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
9	तमकूर, चिक्काबल्लापुर, कलबुर्गी, कोप्पल और यादगीर जिला अस्पतालों, कर्नाटक में सामुदायिक शौचालय परिसरों के लिए 500 लीटर सौर वॉटर हीटर	(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, तियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	नहीं	पैन कर्नाटक		5.39	5.39	-	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन, बेंगलूर	
10	रायचूर में पीएचसी और सीएचसी को चिकित्सा उपकरण	(i) निवारक सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	नहीं	कर्नाटक	रायचूर	-101.40	-101.40		हाँ	सीधे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, रायचूर के माध्यम से	
11	कर्नाटक के जंगलों में बाघों के लिए 20 रेडियो कॉलर और दो डिजिटल ट्रैकर का प्रायोजन	(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	नहीं	कर्नाटक	कोडागू	0.00	-32.11		हाँ	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, वन विभाग, कर्नाटक	
			कुल			371.73	238.22				

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	प्रत्यक्ष पर कार्यान्वयन का तरीका (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण	(i) भूखमरी, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता निवारक सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना [स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष सहित] और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना;	नहीं	कर्नाटक	धारवाड़	67.74	हाँ	-	
2	कर्नाटक के चामराजनगर जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण		नहीं	कर्नाटक	चामराजनगर	60.12	हाँ		
3	गडग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गडग जिला, कर्नाटक को चिकित्सा उपकरण		नहीं	कर्नाटक	गडग	25.00	हाँ		
4	नेल्लोर जिले के दमपाया और पेरानाडु में दो ओवरहेड टैंकों का निर्माण		नहीं	तमिलनाडु	नेल्लोर	0.57	हाँ		
5	सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल, अंडासूरा गांव, सागर तालुक में बुनियादी ढांचे का विकास	(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं शामिल हैं;	नहीं	कर्नाटक	शिमोगा	2.04	हाँ		
6	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सराकल गांव, नगरकोडल में बुनियादी ढांचे का विकास		नहीं	तमिलनाडु	नगरकोडल	0.28	हाँ		
7	वेम्बनाड झील, केरल में आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम	(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना	नहीं	केरल	कोट्टायम	(60.22)	नहीं		
8	आदर्श ग्राम विकास-ब्रम्हसंद्रा गांव तुमकुर जिले के सिरा तालुका	(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	नहीं	कर्नाटक	तुमकुर	(4.89)	नहीं		
9	हिरमठ संस्थान विद्यापीठ ट्रस्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	(i) निवारक सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	नहीं	कर्नाटक	बोदर	(2.00)	हाँ		
10	यादगीर में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं शामिल हैं;	नहीं	कर्नाटक	यादगीर	(0.34)	नहीं		
11	गौरीबिदानूर तालुक में 6 स्कूलों/जूनियर कॉलेजों के लिए मैपकिन वेडिंग और निपटान मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए अनुरोध	(i) निवारक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	कर्नाटक	चिकबलपुर	(1.73)	हाँ		
					कुल	86.57			

₹ लाख में
अनुलग्नक-3

पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

क्र.सं.	(क) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	(ख) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति पूँजीकृत है, उनका पता आदि।	(घ) निर्मित या अर्जित की गई पूँजीगत संपत्ति (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।
1	06-01-2023	23,60,000	बैंगलूरू मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान; पता: किला, कृष्णा राजेंद्र रोड, बैंगलूरू, कर्नाटक 560002	वाणी विलास अस्पताल में ऑपरेशन टेबल (स्त्री रोग) स्थापित, पता: विक्टोरिया हॉस्पिटल कंपाउंड, सुल्तान रोड, कलासिपाल्या, बैंगलूरू, कर्नाटक 560002
2	16-01-2023	30,01,000	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, हसन पता: सलागामे रोड, रंगोली हल्ला, हसन, कर्नाटक 573201	केश कार्ट, शिशु रेडियंट वार्मर, टेबल पल्स ऑक्सीमीटर, वैक्यूम सक्शन मशीन, ओटी लाइट, मल्टी पैरामॉनिटर, रिमोट के साथ ओटी टेबल, लीड के साथ ईसीजी मशीन, एनेस्थेसिया मशीन, यराइड लाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, लेबर कौट, बॉयल्स अपरेटस, डीफ्रीब्रिलेटर, कोटरी मशीन डिजिटल मॉडल, भ्रूण डोपलर मॉनिटर-प्रत्येक सीएचसी में एक, नुगेनहल्ली, चनारायपटना तालुक और सीएचसी, हलेबीड, बेलूर तालुक
3	19-01-2023	29,85,000	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, कोलार पता: विनोबा नगर, कोलार, कर्नाटक 563101	ओटी लाइट, रिमोट के साथ ओटी टेबल, बॉयल्स अपरेटस, फीटल डॉपलर मॉनिटर - प्रत्येक सीएचसी में एक, ग्वानापल्ली और सीएचसी, बेथमंगला
4	24-01-2023	4,31,100	जिला सर्जन, तुमकूर, चिक्कबल्लापुर, कलबुर्गी, कोप्पल और यादगीर जिले में स्थित जिला अस्पतालों में सामुदायिक शौचालयों के शीर्ष पर 500 KLD सौर वॉटर हीटर	कर्नाटक के तुमकूर, चिक्कबल्लापुर, कलबुर्गी, कोप्पल और यादगीर जिले में स्थित जिला अस्पतालों में सामुदायिक शौचालयों के शीर्ष पर 500 KLD सौर वॉटर हीटर
5	06-03-2023	75,06,529	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (डीएचओ), पता: नंबर 32-सी, एपीएमसी मेन रोड, नवानगर बागलकोट, बागलकोट - 587102	केश कार्ट, शिशु रेडियंट वार्मर, टेबल पल्स ऑक्सीमीटर, वैक्यूम सक्शन मशीन, ओटी लाइट, मल्टी पैरामॉनिटर, रिमोट के साथ ओटी टेबल, डीफ्रीब्रिलेटर, फीटल डॉपलर मॉनिटर - प्रत्येक सीएचसी में एक, केरूर, सीएचसी, इलकल और 50 बिस्तर अस्पताल, बागलकोट
6	08-03-2023	75,19,500	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (डीएचओ), पता: नवाडगरी, बीदर, कर्नाटक 585401	केश कार्ट, शिशु रेडियंट वार्मर, टेबल पल्स ऑक्सीमीटर, वैक्यूम सक्शन मशीन, ओटी लाइट, मल्टी पैरामॉनिटर, रिमोट के साथ ओटी टेबल, डीफ्रीब्रिलेटर, फीटल डॉपलर मॉनिटर - प्रत्येक सीएचसी में एक, राजेश्वर, सीएचसी, कमलागर और सीएचसी, चिद्दीगुप्पा



डॉ. अजीत टी कलघाटगी, अध्यक्ष, सी.एस.आर एवं एस.डी. समिति और श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) /निदेशक (वित्त) द्वारा कर्नाटक के रायचूर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामान्य अस्पतालों को एन्ट्रिक्स द्वारा प्रायोजित चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण किया गया।



डॉ. अजीत टी कलघाटगी, अध्यक्ष, सी.एस.आर एवं एस.डी. समिति द्वारा जनरल अस्पताल, गुंडलुपेटे; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संधेमारनहल्ली, चामराजनगर जिला, कर्नाटक को एन्ट्रिक्स द्वारा प्रायोजित चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण किया।



स्वामी विवेकानन्द अस्पताल, सेरगुरु, चामराजनगर जिला, कर्नाटक को आई. सी. यू. उपकरण का प्रायोजन



प्रोजेक्ट टाइगर, नागरघोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक के लिए 10 जी. पी. एस. कॉलर का प्रायोजन

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
सदस्यगण

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण
पर रिपोर्ट

मत

हमने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2023 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और व्याख्यात्मक सूचना सहित तब समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी शामिल है।

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 में यथावर्णित, पृष्ठ 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की परिस्थिति संबंधी कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015, अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लेखित लेखापरीक्षण मानक (एस.ए) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा

जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के बारे में अपने लेखापरीक्षण-मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का जोर

हम वित्तीय विवरणों में निहित निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) इंड एस वित्तीय विवरण में नोट 42(i)(ए)(iv) और 44(डी) देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर कानूनी मामले में विकास को संदर्भित करता है। एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध और वित्तीय वर्ष 2022-23 में दर्शाई गई राशि शून्य रुपये (पिछले वर्ष 6,41,808.62 लाख रुपये) है। दावे को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2022 द्वारा खारिज कर दिया है और को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी खारिज कर दिया है और फैसले को रद्द करने के दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश को अपने आदेश से बरकरार रखा है।

ख) वर्तमान प्रगति:

दिल्ली उच्च न्यायालय खंड पीठ के आदेश के खिलाफ देवास कर्मचारी फंड यूएस एलएलसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 जुलाई 2023 को एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसे अभी तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और यह विकास के परिणाम पर आधारित है।

यह कंपनी की वर्तमान चिंता को प्रभावित कर सकता है। जिसके लिए कंपनी को पर्याप्त उचित देखभाल करनी होगी।

विदेशी न्यायालयों में देवास/देवास निवेशक/ डीएमएआई के द्वारा दायर मामलों से संबंधित नोट्स के नोट 44(डी) के बाद विदेशी कानूनी कार्यवाही के तहत प्रदान किए गए विवरण।

- घ) ग्राहकों/विक्रेताओं से शेष राशि की पुष्टि न मिलने और लंबित समाधान के कारण लाभ और हानि के विवरण पर संभावित प्रभाव के संबंध में नोट संख्या 47 और 49।
- ड) नोट नं. 42(i)(a)(i) लंबित कर मुकदमों के तहत दावों के संबंध में और नोट 50 नोट 42(i)(a)(i) के तहत कर मांगों पर संभावित ब्याज और जुर्माने को शामिल न करने के संबंध में।

इन मामलों में हमारा मतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखापरीक्षण मामले

मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के संपूर्ण स्वरूप के हमारे लेखापरीक्षण के संदर्भ में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में इन मामलों पर हम अपनी अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है। नीचे दिए गए मामले को संबोधित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के परिणाम, ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखापरीक्षण मत के लिए आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले का विवरण	मुख्य लेखापरीक्षण मामले को संबोधित करने के लिए लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ
<p>लंबित विवाद</p> <p>कंपनी के पास विभिन्न प्राधिकरणों के साथ वर्ष के अंत में लंबित विवाद हैं, जो आकस्मिकताओं के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।</p> <p>इन विवादों की स्थिति और कंपनी के प्राप्ति दावों के रूप में मानी जाने वाली राशि जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को इण्ड ए. एस वित्तीय विवरणी के नोट 42, 49 और 44 के अंतर्गत प्रकट किया गया है। बाहरी कर एवं विधि विशेषज्ञ से मिले परामर्श और वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रम के मद्देनजर प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।</p>	<p>इन दावों के परिमाणीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> लंबित विवादों की पहचान करने और प्रकटीकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। आंतरिक विधि दल, प्रबंधन के साथ चर्चा और वर्ष के दौरान घटनाक्रम एवं वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए निदेशक मंडल और लेखापरीक्षण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा। वर्ष के दौरान बिना किसी घटनाक्रम से संबंधित विवादों के बारे में, चुनिंदा तौर पर सहायक दस्तावेज़ की समीक्षा और लेखाविधि एवं प्रकटीकरण के आधार पर प्रबंधन के साथ चर्चा। वर्ष के दौरान प्रकटीकरण या दावे की राशि पर घटनाक्रम के कारण पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। वर्ष के अंत में हमारी लेखापरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति में होने वाले वस्तुपरक परिवर्तनों की तिथि तक वर्ष के अंत के बाद की घटनाओं के प्रभाव का आकलन।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों में शामिल जानकारी शामिल है, परन्तु इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी और उसके साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व दूसरी सूचना को पढ़ना है, और, ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि अन्य सूचना इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण में हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा गलत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है।

जब हम मंडल रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को निदेशकमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के संदर्भ में इन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी हैं, जो सही जानकारी देते हैं। और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक

आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन का निष्पक्ष दृष्टिकोण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित एएस सहित, इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए के प्रबंधन और निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का आशय हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी उत्तरदायी हैं।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या

त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन इंड एस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक गलत विवरण से जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक गलत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोखिम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।
- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक

नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु तथा क्या इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में गलत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम

मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित गलत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद खास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का गलत प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे सार्वजनिक हितलाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य बातें

(क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की ए.एस. वित्तीय विवरणी, एस.पी.आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की गई थी, जिन्होंने 19 जुलाई, 2022 को उन मंतव्यों पर एक अपरिवर अपरिवर्तित मत व्यक्त किया था।

(ख) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की ए.एस. वित्तीय विवरणी पर श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) जिन्हें 05 जुलाई, 2023 को आयोजित मंडल की बैठक में पारित संकल्प द्वारा अधिनियम की धारा 134(1) के अंतर्गत मंडल द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) बहीखातों के अनुसार आयकर धन वापसी एवं प्राप्त पावती के बीच समाधान तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लेखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "अनुलग्नक-क" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है;

(ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है;

- (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है;
- (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम 2015 के नियम 7, यथासंशोधित में वर्णित लेखाविधि मानकों के अनुरूप है।
- (ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (च) कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए “अनुलग्नक-ख” में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (ज) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है; और
- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, हमारे मतानुसार एवं सूचनाओं के आधार पर

तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

- (ए) कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक की अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 42(i) क, 44 एवं 50 का संदर्भ लें।
- (बी) 31 मार्च, 20223 तक कंपनी के पास अन्य स्रोतों से प्राप्त संविदा सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके चलते कोई अनपेक्षित आर्थिक हानि हुई हो। और
- (सी) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हुई हो।
- (डी) (i) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि (किसी उधार लिए गए धन या शेयर प्रीमियम या धन प्राप्ति के अन्य स्रोतों या प्रकारों से) कंपनी द्वारा कोई राशि न तो अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान (“मध्यस्थ”) सहित किसी प्रतिष्ठान को, दी गई है जिससे यह परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे

जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों।

(ii) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि कंपनी द्वारा कोई राशि न तो किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान ("निधिदाता पक्ष") सहित किसी प्रतिष्ठान से ली गई है जिससे यह परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि निधिदाता पक्ष, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों। और,

(iii) ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं

आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल हुआ हो ; एवं

(ई) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभान्श के समान कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतिम लाभान्श की राशि लाभान्श के भुगतान पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

जैसा कि इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के नोट 54 में उल्लेखित है, कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस वर्ष के लिए एक अंतिम लाभान्श का प्रस्ताव रखा है जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। घोषित लाभान्श की राशि लाभान्श की घोषणा पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

कृते ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं.: 007220एस

हस्ता/-

(के. वी. शिव कुमार)
सहयोगी पक्ष

सदस्यता संख्या 027437

यूडीआईएन :23027437BGTBY6720

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 5 जुलाई 2023

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक “क”

- (i) (क) (ए) कंपनी, अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।
- (बी) कंपनी, अपनी अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है।
- (ख) सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के सत्यापन हेतु वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है।
- (ग) कंपनी के पास पट्टाधारी भूमि, जिसका कंपनी पट्टाधारक है, पर भवन के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1988 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध किसी बेनामी संपत्ति धारिता संबंधी कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है, न लंबित है।
- (ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया गया है। हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, सत्यापन का अंतराल उपयुक्त है और ऐसे सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग में समेकित रूप से 10% या इससे अधिक की कोई कमी नहीं पाई गई थी।
- (ख) कंपनी के पास बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित कोई पूँजी सीमा नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii)(बी) लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता साझेदारों या अन्य किसी पक्ष के साथ कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है या सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iii) लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है जिसका अधिनियम की धाराएँ 185 तथा 186 के तहत अनुपालन आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) लागू नहीं है।
- (v) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कोई राशि जमा नहीं की गई है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमा माना जाए। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (v) लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी एक सेवा प्रदाता/व्यापारिक प्रतिष्ठान है और इसलिए अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (vi) लागू नहीं है।
- (vii) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी गैर-विवादित सांविधिक बकाये से संबंधित लेखा-बही में कटौती की गई/जमा राशि जिसमें माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया शामिल है, को उपयुक्त प्राधिकारी को सामान्यतः नियमित तरीके से जमा कराती रही है।
- हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार,

माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया से संबंधित कोई भी गैर-विवादित राशि देय नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2023 तक भुगतान किए जाने हेतु छः महीने से अधिक अवधि तक बकाया के तौर पर रखा गया हो।

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, विवाद के कारण, सेवाकर, बिक्री कर एवं मूल्य संवर्धित कर कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	बकाये की अवधि	फोरम जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	885.33	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
2	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	163.02	01 अक्टूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	264.18	01 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
4	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01 अप्रैल, 2005 से 31 जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
5	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01 अगस्त, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
6	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
7	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,577.15	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
8	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
9	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
10	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
11	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	211.48	मूल्यांकन वर्ष 2017-18	आयकर अपील आयुक्त
12	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	38.98	वित्त वर्ष 2019-20	आयकर अपील आयुक्त
13	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	163.07	वित्त वर्ष 2020-21	आयकर अपील आयुक्त

(viii) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर आकलन में पिछले वर्ष लेखा-बही में दर्ज नहीं किए गए

किसी भी अंतरण को आय के तौर पर अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है या कोई उधारी नहीं ली गई है और न ही वर्ष के अंत में लंबित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) से 3 (ix) (च) लागू नहीं हैं।

(x) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा कोई उगाही नहीं की है और न ही वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन या शेयर का निजी स्थानन या विनिमय ऋणपत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) एवं (ख) लागू नहीं हैं।

(xi) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(xii) कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं हैं।

(xiii) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथावर्णित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के

साथ अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा वर्णित किया गया है, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सूचना प्रदाता संबंधी कोई भी परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

(xiv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लेखित किए गए हैं।

(xv) (क) हमारे मत एवं हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के व्यापार के आकार एवं प्रकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षण प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान, कंपनी से संबंधित अब तक जारी की गई लेखा रिपोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xvi) (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 अ के तहत कंपनी को पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (क) लागू नहीं हैं।

(ख) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास हेतु वित्तीय क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ख) लागू नहीं हैं।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए परिनियमों की परिभाषा के अनुसार, कंपनी मूल रूप से कोई निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ग) लागू नहीं हैं।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, कंपनी के पास कोई समूह कंपनी नहीं है जैसा कि मूल रूप से निवेश कंपनी के लिए पारिभाषित है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (घ) लागू नहीं हैं।

(xvii) कंपनी को वर्तमान वर्ष और इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई धन-हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) लागू नहीं हैं।

(xix) इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 48 में बताए गए वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की स्थिति और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलन पत्र की तिथि जब भी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है और कानूनी कार्यवाही में विकास पर निर्भर करता है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो,

(xx) (क) जारी परियोजनाओं के अलावा कोई अव्ययित राशि नहीं रही है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।

(ख) वैसी कोई भी जारी परियोजनाएँ जिसमें सभी राशि जो अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के अंतर्गत अव्ययित रही है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष लेखा में अंतरित कर दी गई हैं।

(xxi) समूह की अन्य कंपनियों में योग्यता या प्रतिकूल लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियाँ - लागू नहीं।

कृते ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं.: 007220एस

हस्ता/-

(के. वी. शिव कुमार)

सहयोगी पक्ष

सदस्यता संख्या 027437

यूडीआईएन :23027437BGTTBY6720

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 5 जुलाई 2023

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक “ख”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2023 तक की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट (“दिशानिर्देश नोट”) में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत

आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी विहित लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट एवं मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करें और ऐसे सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए या नहीं, इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक गलत बयानी से उत्पन्न जोखिम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से जुड़े इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती है। एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं; और, (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर

तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है। नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता क्षीण हो सकती है।

मत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इंड एस के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, एस वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं.: 007220एस

हस्ता/-

(के. वी. शिव कुमार)
सहयोगी पक्ष

सदस्यता संख्या 027437

यूडीआईएन :23027437BGGTTBY6720

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 5 जुलाई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-“ग”।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंड एस वित्तीय विवरण के संबंध में लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं।

क्र.सं.	निदेश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी सिस्टम हैं। हालाँकि कुछ लेखांकन प्रविष्टियों के इनपुट एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य प्रणालियों से होते हैं, लेकिन इन्हें लेखांकन आईटी प्रणाली और उचित अनुमोदन और नियंत्रण के माध्यम से संसाधित किया जाता है।
2	ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/लोन/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्ष के दौरान लिया गया कोई ऋण या अन्य उधार नहीं है या वर्ष के अंत में लंबित नहीं है और इस निदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट 41 के तहत रिपोर्ट किया गया अनुदान लेखांकन मानक अनुपालन के लिए उचित मूल्यांकन पर आधारित एक समझा गया अनुदान है।

कृते ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं.: 007220एस

हस्ता/-

(के. वी. शिव कुमार)

सहयोगी पक्ष

सदस्यता संख्या 027437

यूडीआईएन :23027437BGTTBY6720

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 5 जुलाई 2023

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2023 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं/हैं। दिनांक 05.07.2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागजात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, कुछ भी विशेष मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिस कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या परिशिष्ट तैयार की जाए।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से**

**हस्ता/-
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग**

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 11.09.2023

विस्तृत वित्तीय विवरणी

सीआईएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च 2023 तक तुलनपत्र

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
परिसंपत्तियाँ:			
(1) गैर तात्कालिक परिसंपत्तियाँ			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	4	843.10	903.19
(ख) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ	4A	7.41	19.45
(ग) अधिकार उपयोग संपत्ति	5	250.61	256.06
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	0.44	0.57
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	0.65	4,815.72
(ड) आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	31	2,776.54	3,046.65
(च) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	32,447.69	33,825.43
		36,326.44	42,867.07
(2) वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	9	0.21	15.72
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	4,015.88	18,558.09
(ii) नकद और नकद के समान	11	15,265.51	237.18
(iii) नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	12	85,304.24	87,025.76
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	3,643.54	2,554.57
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	13,924.39	13,977.86
		1,22,153.77	1,22,369.18
		1,58,480.21	1,65,236.25
इक्विटी और देयता:			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	680.00	680.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	1,47,992.03	1,50,706.62
		1,48,672.03	1,51,386.62
(2) देयताएँ			
गैर वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टे की देयताएँ	17	269.76	270.38
(ख) प्रावधान	18	7.44	-
		277.20	270.38
वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टे की देयताएँ	17	0.61	0.57
(ii) व्यापार देनदारियाँ	19	1.45	5.25
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		1.45	5.25
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया		4,789.42	9,412.51

(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	1,131.41	1,205.05
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	21	3,253.12	2,240.42
(ग) प्रावधान	22	354.97	715.45
		9,530.98	13,579.25
		1,58,480.21	1,65,236.25
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		3	
संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग बनते हैं			

यह हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र है

कृते ए.जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 007220S

कृते एवं एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(के वी शिवकुमार)

भागीदार

सदस्यता संख्या: 027437

यूडीआईएन: 22210255ANIGAV9889

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08200144

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(मोहन महादेवन)

निदेशक

डीआईएन: 07267450

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

सीआईएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि का विवरण

(शेयर आँकड़ों एवं यथोक्तेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I संचालन से राजस्व	23	3,816.10	18,164.62
II अन्य आय	24	7,776.82	5,079.87
III कुल आय (I+II)		11,592.92	23,244.49
IV व्यय:			
(i) संचालन से राजस्व की लागत	25	2,753.08	15,987.56
(ii) व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन	26	15.51	0.91
(iii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	300.90	329.34
(iv) वित्त लागत	28	22.22	22.27
(v) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	4,4A & 5	78.51	146.55
(vi) अन्य व्यय	29	1,931.50	3,133.58
कुल व्यय (IV)		5,101.72	19,620.21
V कर पूर्व लाभ (III - IV)		6,491.20	3,624.28
VI कर व्यय:			
(i) वर्तमान कर		1,366.89	1,075.20
(ii) आस्थगित कर	30	270.09	53.33
VII वर्ष के लिए लाभ (V - VI)		4,854.22	2,495.75
VIII अन्य व्यापक आय			
क (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन		1.59	12.62
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.40)	(3.20)
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय (i+ii)		1.19	9.42
IX वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		4,855.41	2,505.17
X प्रति इक्विटी शेयर आय [शेयर का नाममात्र मूल्य: ₹.100 (31 मार्च, 2022: ₹.100)]			
(1) मूल एवं परिवर्तित	32	713.86	367.02
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	3		
संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं			

यह हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र है

कृते ए.जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 007220S

कृते एवं एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(के वी शिवकुमार)

भागीदार

सदस्यता संख्या: 027437

यूडीआईएन: 22210255ANIGAV9889

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08200144

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(मोहन महादेवन)

निदेशक

डीआईएन: 07267450

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

सीआईएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में है)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह कर देने से पूर्व लाभ	6,491.20	3,624.28
समायोजन:		
वित्त लागत (पट्टा देयता)	22.22	22.27
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	78.51	146.55
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि	-	0.18
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1,053.00)	(243.89)
बैंक जमा से ब्याज आय	(5,571.68)	(4,420.61)
सरकारी अनुदान आय	(22.69)	(22.69)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह	(55.44)	(893.91)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) अवृद्धि - ऋण	0.13	0.58
(वृद्धि)/अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी	1,590.10	1,380.78
(वृद्धि)/वस्तु सूची में कमी	15.51	0.91
(वृद्धि)/व्यापार प्राप्त्य में कमी	15,595.21	23,553.05
(वृद्धि)/अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	2.65	116.05
(वृद्धि)/अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी	55.06	416.07
गैर-वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)।	7.44	(39.97)
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)।	(4,626.89)	(14,839.15)
अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	(73.64)	(856.45)
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	1,012.70	(4,123.71)
वर्तमान प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)।	(360.48)	(115.30)
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	13,162.35	4,598.95
घटाएँ: भुगतान किया गया आयकर (नवल)	(1,579.64)	(3,587.06)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नवल नकदी	11,582.71	1,011.89
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	6,520.65	1,736.16
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(0.93)	(3.66)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	-	0.17
बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	4,496.00	4,994.55
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नवल नकदी	11,015.72	6,727.22

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लीज देनदारी पर ब्याज का भुगतान	(0.10)	(0.10)
लाभांश भुगतान	(7,570.00)	(7,850.00)
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली नवल नकदी	(7,570.10)	(7,850.10)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	15,028.33	(110.99)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (नोट 11 देखें)	237.18	348.17
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नोट 11 देखें)	15,265.51	237.18
नकद और नकद समकक्षों के घटक		
बैंकों के पास शेष	8,665.74	237.07
3 महीने से कम या उसके बराबर परिपक्वता वाली बैंक जमा	6,599.69	-
उपलब्ध नकद	0.08	0.11
	15,265.51	237.18
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	नोट 3	
संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग बनते हैं		

यह हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में उल्लेखित तुलन पत्र है

कृते ए.जॉन मोरिस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 007220S

कृते एवं एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

(के वी शिवकुमार)

भागीदार

सदस्यता संख्या: 027437

यूडीआईएन: 22210255ANIGAV9889

बेंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08200144

बेंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(मोहन महादेवन)

निदेशक

डीआईएन: 07267450

बेंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

सीआईएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

शेयर ऑफ़े एवं यथोलिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं

क. इक्विटी शेयर पूँजी	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(i) वर्ष के आरंभ में शेयर	680.00	680.00
(ii) पूर्ववर्षी भूल के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii) वर्ष के आरंभ में पुनर्गठित शेयर	680.00	680.00
(iv) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(v) वर्ष के अंत में शेयर	680.00	680.00

ख. अन्य एक्विटी	रिज़र्व एवं अधिशेष										कुल	
	विवरण	सामान्य रिज़र्व		पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)		अन्य व्यापक आय के मद				
		31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) वर्ष के आरंभ में शेप	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	60.00	44,028.86	49,383.11	3.66	(5.76)	1,50,706.62	1,56,051.45		
(ii) लाभोश	-	-	-	-	(7570.00)	(7850.00)	-	-	(7570.00)	(7850.00)		
(iii) वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	4,854.22	2,495.75	-	-	4,854.22	2,495.75		
(iv) परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन (आयकर से निवल)	-	-	-	-	-	-	1.19	9.42	1.19	9.42		
(v) वर्ष के अंत में शेप	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	60.00	41,313.08	44,028.86	4.85	3.66	1,47,992.03	1,50,706.62		

नोट :

1. सामान्य रिज़र्व : यह अर्जित आय से सृजित मुक्त रिज़र्व है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग के लिए है।
 2. मूलधन विमोचन रिज़र्व: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, मूलधन विमोचन रिज़र्व का सृजन तब होता है जब कंपनी मुक्त रिज़र्व या प्रतिभूति अगुधन से अपने शेयर स्वयं खरीदती है। नाममात्र मूल्य के खरीदे गए शेयर के बराबर की राशि मूलधन विमोचन रिज़र्व में हस्तांतरित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप इस रिज़र्व का उपयोग किया जाता है।

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार यह इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी है।

कृते ए. जॉन मोरिस एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण संख्या: 007220S

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
 निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

हस्ता/-

(कै. वी. शिव कुमार)

भागीदार

सदस्यता संख्या: 027437

यूडीआईएन: 23027437BGTB Y6720

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

यूडीआईएन: 08200144

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(मोहन महादेवन)

निदेशक

यूडीआईएन: 07267450

बैंगलूरु

दिनांक: 05 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं उल्लेखित के अलावा सभी राशि ₹ लाख है)

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन में लगी हुई है। एन्ट्रिक्स भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एन्ट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा है।

एन्ट्रिक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं:

- संचार उपग्रह ट्रांसपोंडर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (आईआरएस) तक पहुंच प्रदान करना
- ग्राहक उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से डेटा का विपणन
- उपग्रहों, उपग्रह उप-प्रणालियों एवं प्रक्षेपण यान उप-प्रणालियों का निर्माण तथा विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना; एवं
- उपग्रहों हेतु मिशन सहायता सेवाएँ

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु - 560 094 में स्थित है।

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को संस्वीकृति दे दी है और 05 जुलाई, 2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

2. अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथासंशोधित के साथ पढ़ा जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

3.1 सृजन एवं प्रस्तुति का आधार

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों या परिशोधित लागत पर मापा जाता है, संचय आधार का उपयोग करके ऐतिहासिक लागत समागम के तहत इंड एस के अनुसार सृजित है।

वित्तीय विवरण इंड एस 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में निहित वर्गीकरण प्रावधानों के अनुरूप हैं। स्पष्टता के लिए, विभिन्न मदों को लाभ और हानि के विवरण और तुलन पत्र में एकत्रित किया गया है। जहां भी लागू हो, इन मदों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में अलग-अलग विभाजित किया गया है। वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में सृजित एवं प्रस्तुत किए गए हैं।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया था या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता थी।

3.2 प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। सभी राशियों

को निकटतम लाख तक पूर्णांकित कर दिया गया है।

3.3 प्रचालन-चक्र एवं वर्तमान तथा गैर-वर्तमान वर्गीकरण

परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने सामान्य प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है। यह सेवाओं की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों या सूची के अधिग्रहण एवं नकद तथा नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय पर आधारित है।

किसी भी संपत्ति या देनदारी को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

- i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की अपेक्षा की जाती है;
- ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के अशय हेतु;
- iii. परिसंपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;
- iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की अपेक्षा है;
- v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने तक देनदारी का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- vi. देनदारी के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.4 आकलन एवं निर्णय का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में। विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट्स में प्रकट की गई हैं:

(i) राजस्व मान्यता

कंपनी निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में पूर्णता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए अनुबंध में सहमति के अनुसार गतिविधि के पूरा होने के मील के पथर/चरण का उपयोग करके पूर्णता के प्रतिशत विधि का उपयोग करती है। पूर्णता विधि लेखांकन का प्रतिशत कुल अपेक्षित अनुबंध राजस्व एवं लागत के अनुमान पर निर्भर करता है। इस पद्धति का पालन तब किया जाता है जब अनुबंध के विभिन्न तत्वों पर लागू राजस्व एवं लागत का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। चूँकि इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान निरंतर आधार पर

मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है, जैसे-जैसे अनुबंध पूरा होने की ओर बढ़ता है, राजस्व मान्यता संशोधन के अधीन होती है।

(ii) आय कर

आयकर के प्रावधानों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिसमें यह निर्णय भी शामिल है कि क्या कर निर्धारण में कर की स्थिति कायम रहने की संभावना है। कर निर्धारण में जटिल मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें केवल विस्तारित समय अवधि में ही हल किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई दरों पर होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उस अवधि के दौरान भविष्य के कर योग्य लाभ की उत्पत्ति पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर और कर हानि कटौती योग्य हो जाती है। कंपनी यह आकलन करते समय आस्थगित कर देनदारियों एवं अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय के अपेक्षित उलटफेर पर विचार करती है। हालांकि, यदि कैरी-फॉरवर्ड अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है, तो वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि निकट अवधि में कम हो सकती है।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाएँ एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

परिभाषित लाभ योजनाओं की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और संग्रह के अपेक्षित समय के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन धारणाओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, ग्राहक की साख, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों और साथ ही कोविड -19 के प्रभाव पर आधारित है।

(vi) कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का आकलन

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा की वसूली भी शामिल है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर, क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पूर्वानुमान सहित जानकारी के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। और उम्मीद करता है कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि वसूल कर ली जाएगी। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव महामारी की गतिशील स्थिति को देखते हुए इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

(vii) उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कुछ लेखांकन नीतियों और प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों दोनों के लिए उचित मूल्यों के माप की आवश्यकता होती है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी जहां तक संभव हो अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण है।

3.5 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**(i) मान्यता एवं मापन**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर बताया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल होते हैं, जिसमें व्यापार छूट और वस्तु को उसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल होती है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण हिस्सों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान पर कोई भी लाभ या हानि लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

(ii) इंड एस में अंतरण

इंड एस में परिवर्तन पर, कंपनी ने 01 अप्रैल, 2015 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापा गया है, ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और उस वहन मूल्य को मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया जाता है। (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

(iv) मूल्यहास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करके उनके

अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहास लगाया गया है। 0.05 लाख रुपये से अधिक नहीं होने वाली संपत्तियों की मूल लागत का अवशिष्ट मूल्य 0% है और अन्य सभी संपत्तियों के लिए, उनकी अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत का 1% है। 1% के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति का अधिकतम सीमा तक मूल्यहास माना जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

पत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन (अस्थायी संरचनाएं)	3 वर्ष
भवन (बाड़, आदि)	5 वर्ष
फ़र्निचर व फिक्सचर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
विद्युत प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

3.6 अमूर्त संपत्तियाँ

अमूर्त संपत्तियों को लागत से कम संचित परिशोधन और हानि पर बताया गया है। अनुमानित उपयोगी जीवन/परिशोधन लाइसेंस की अवधि है और इसकी अनुपस्थिति में 5 वर्ष है। इसका परिशोधन सीधी रेखा विधि के अंतर्गत किया जाता है।

3.7 वस्तु सूची

स्टॉक-इन-ट्रेड से युक्त इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत से कम और अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत पहले-आओ-पहले-जाओ के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसमें इन्वेंट्री प्राप्त करने में किया गया व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती है।

3.8 राजस्व मान्यता

(i) उत्पादों की बिक्री

ग्राहकों को या उनके निर्दिष्ट/अनुबंधित परियोजना को संपूर्ण करते समय सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व की पहचान की जाती है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर संपूर्णता में देरी होती है और ग्राहक स्वामित्व लेता है और बिल स्वीकार करता है, तो भौतिक संपूर्णता पूरी नहीं होने के बावजूद राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब तक कि पूरी अपेक्षा है कि संपूर्णता की जाएगी और संपूर्णता योग्य हाथ में हैं, पहचान लिया जाता है और संपूर्णता के लिए तैयार है। यदि संपूर्णता प्रतिष्ठापन/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो ग्राहक द्वारा संपूर्णता स्वीकार करने और प्रतिष्ठापन/निरीक्षण पूरा होने तक राजस्व की पहचान नहीं की जाती है।

(ii) सेवाएँ

क) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन एवं परीक्षण

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार गतिविधि के पूरा होने के मील के पथर/चरण के संदर्भ में पहचाना जाता है।

ख) अभिगमन शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि।

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, एकमुश्त सेवाएं प्रदान करने पर या समय-समय पर आवर्ती सेवाओं के पूरा होने के आधार पर तुरंत पहचाना जाता है।

ग) परामर्शिता

अनुबंध में सहमत प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने के आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है।

(iii) समग्र अनुबंध

ऊपर दिए गए मद (i) और (ii) के सामने उल्लेखित नीति के अनुसार समग्र अनुबंध के प्रत्येक मद के लिए राजस्व की पहचान की जाती है।

(iv) अन्य आय**क) ब्याज**

ब्याज आय की पहचान प्रोद्घवन आधार पर की जाती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियों से ब्याज आय को रसीद के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) स्वामिस्व

स्वामिस्व का हिसाब ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर किया जाता है।

ग) निवेश पर लाभांश

निवेश पर लाभांश तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन**(i) प्रारम्भिक मान्यता**

लेन-देन की तिथि पर विनिमय दरों को लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

(ii) परवर्ती मापन

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को प्रतिवेदन की तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक संपत्तियां और देनदारियां बाद के मापों के लिए नहीं हैं। विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.10 वित्तीय साधन**(i) मान्यता एवं प्रारंभिक मापन**

व्यापार प्राप्य को प्रारंभ में तब पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं। अन्य सभी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय दायित्व को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन की लागत जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है, तुरंत लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की जाती है।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन**क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

प्रारंभिक पहचान पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को माप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है

- परिशोधन लागत;
- एफवीटीपीएल (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)
- एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि उस अवधि के दौरान कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलती है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और एफवीटीपीएल के अनुसार निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

एक ऋण निवेश को एफवीओसीआई में मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है और एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्ति बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे गए इक्विटी निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी ओसीआई (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में नामित) में निवेश के उचित मूल्य में बाद के बदलाव पेश करने का चुनाव कर सकती है। यह चुनाव निवेश दर निवेश के आधार पर होता है।

परिशोधन लागत या एफवीओसीआई पर मापी गई सभी वित्तीय संपत्तियों को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्ति	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
एफवीओसीआई में ऋण निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज पद्धति के तहत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य निवल लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में संचित लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।
एफवीओसीआई में इक्विटी निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अन्य निवल लाभ और हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। हानि से परिशोधन लागत कम हो जाती है। लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और हानि को मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द होने पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियाँ परिशोधन लागत या एफवीटीपीएल पर मापी जाती हैं। यदि किसी वित्तीय देनदारी को -व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी ब्याज व्यय सहित निवल लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता रद्द करने पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में भी मान्यता दी जाती है।

(iii) अमान्यता

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर देती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और पारितोषिक काफी हद तक स्थानांतरित हो जाते हैं। या जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पारितोषिकों को न तो स्थानांतरित करती है और नाही पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है और नाहीं वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार रखती है।

ख) वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर देती है जब उसके संविदात्मक दायित्व समाप्त हो जाते हैं या रद्द हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं।

कंपनी किसी वित्तीय देनदारी की मान्यता तब भी रद्द कर देती है जब उसकी शर्तों को संशोधित किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देनदारी को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देनदारी के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.11 हानि

(i) वित्तीय साधनों की हानि

कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ते को मान्यता देती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है
- प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ क्रेडिट-क्षतिग्रस्त हैं या नहीं। एक वित्तीय परिसंपत्ति "क्रेडिट-क्षतिग्रस्त" तब होती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली एक या अधिक घटनाएं घटित होती हैं।

इस साक्ष्य में कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की साख-क्षतिग्रस्त है, निम्नलिखित अवलोकन योग्य डेटा शामिल है:

- उधारकर्ता या जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन जैसे डिफॉल्ट या 365 दिन या उससे अधिक समय से बकाया होना;
- कंपनी द्वारा किसी ऋण या अग्रिम का उन शर्तों पर पुनर्गठन जिन पर कंपनी अन्यथा विचार नहीं करेगी;

- यह संभव है कि उधारकर्ता दिवालियापन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा: या
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुरक्षा के लिए सक्रिय बाज़ार का लुप्त होना

व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

(ii) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

हानि परीक्षण के लिए, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों (सीजीयू) में एक साथ समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक सीजीयू परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या सीजीयू के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो हानि को मान्यता दी जाती है। क्षति हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.12 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि जैसे अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि में बिना छूट के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

ख) उपदान

कंपनी सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ योजना, उपदान प्रदान करती है। यह योजना पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं।

ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

कंपनी के ऑन-रोल कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित हैं। कंपनी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में मूल वेतन और डीए का 14% योगदान करती है, जो एक परिभाषित योगदान योजना है। योगदान का लेखा संचय के आधार पर किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

घ) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अल्पकालिक मुआवजा प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जो एक अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ योजना है, का हिसाब तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाता है और स्थगित नहीं किया जाता है।

ड) डाक जीवन बीमा (पीएलआई)

कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार ऑन-रोल कर्मचारियों के नाम पर सब्सक्राइब किए गए पीएलआई प्रीमियम का 50% योगदान करती है।

3.13 आय कर

आयकर में वर्तमान और स्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि किसी वस्तु को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त होने वाली अपेक्षित कर राशि का सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों की भरपाई केवल तभी की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति का एहसास करना और निवल आधार पर या एक साथ देनदारी का निपटान करना है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को अग्रेषित कर घाटे और कर क्रेडिट के संबंध में भी मान्यता दी गई है। आस्थगित कर को इसके लिए मान्यता नहीं दी गई है:

- किसी लेनदेन में परिसंपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक पहचान पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी मतभेद जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;
- सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती हैं और उन्हें इस हद तक पहचाना/कम किया जाता है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की क्रमशः संभावना/अब संभावना नहीं है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा की जाती है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देनदारी का निपटान किया जाता है, जो कि रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर होता है।

आस्थगित कर का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करती है।

यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है, और वे एक ही कर

प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन वे ऐसा करने का इरादा रखते हैं। वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का निपटान निवल आधार पर करें या उनकी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली एक साथ की जाएगी।

3.14 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल कमाई की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले निवल लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने की घटनाओं (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मन्द आय की गणना करने के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मन्द संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.15 प्रावधान तथा आकस्मिक देनदारियाँ एवं संपत्तियाँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी उद्यम पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं। जहां कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

3.16 नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद और नकद समकक्षाओं में हाथ में नकदी, बैंक जमा और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक निवेश शामिल होते हैं जो आसानी से नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होते हैं।

3.17 सरकारी अनुदान

भूमि पट्टा किराया के उचित मूल्य और अंतरिक्ष विभाग को भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया के बीच के अंतर को मौद्रिक सरकारी अनुदान माना गया है। लाभ और हानि के विवरण के आय पक्ष के साथ-साथ व्यय पक्ष दोनों पर अनुमानित रूप से आय का हिसाब लगाया गया है।

3.18 पट्टा

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एस 116 - लीज को अपनाया है और इसे 01 अप्रैल, 2019 को मौजूदा सभी लीज अनुबंधों पर लागू किया है।

निम्नलिखित को छोड़कर सभी पट्टों का उपयोग उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा दायित्व को मान्यता देकर किया जाता है:

- कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे; और

- 12 महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टे।

टिप्पणी: कंपनी के पास कोई कम मूल्य या अल्पकालिक पट्टे नहीं हैं।

निम्नलिखित नीतियाँ प्रारंभिक आवेदन की तिथि, 01 अप्रैल, 2019 के बाद लागू होती हैं:

पट्टे की देनदारियों को पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार को देय संविदात्मक भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे में निहित दर के संदर्भ में छूट दर निर्धारित की जाती है, जब तक कि (जैसा कि आम तौर पर मामला होता है) यह आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिस स्थिति में पट्टे की शुरुआत पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान केवल पट्टा दायित्व के माप में शामिल किए जाते हैं यदि वे किसी सूचकांक या दर पर निर्भर होते हैं। ऐसे मामलों में, पट्टा दायित्व का प्रारंभिक माप मानता है कि परिवर्तनीय तत्व पूरे पट्टा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान उसी अवधि में व्यय किए जाते हैं जिससे वे संबंधित हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टा दायित्व के वहन मूल्य में यह भी शामिल है:

- किसी भी अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि;
- कंपनी के पक्ष में दिए गए किसी भी क्रय विकल्प का प्रयोग मूल्य, यदि उस विकल्प का आकलन करना उचित रूप से निश्चित है;
- पट्टे को समाप्त करने के लिए देय कोई दंड, यदि पट्टे की अवधि का अनुमान प्रयोग किए जा रहे समाप्ति विकल्प के आधार पर किया गया है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लीज देनदारी की राशि पर मापा जाता है, प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन के लिए कम किया जाता है, और इसके लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा प्रारंभ होने पर या उससे पहले किया गया पट्टा भुगतान;
- आरंभिक प्रत्यक्ष लागत; और
- किसी भी प्रावधान की राशि को मान्यता दी गई है जहां कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति को नष्ट करने, हटाने या बहाल करने के लिए अनुबंधित रूप से आवश्यक है।

प्रारंभिक माप के बाद, बकाया राशि पर एक स्थिर दर से लगाए गए ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टे की देनदारियाँ बढ़ जाती हैं और किए गए पट्टे के भुगतान के लिए कम हो जाती हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की शेष अवधि के दौरान या परिसंपत्ति के शेष आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है, यदि, शायद ही कभी, इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है।

जब कंपनी किसी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान को संशोधित करती है, तो यह संशोधित अवधि के दौरान किए जाने वाले भुगतानों को दर्शाने के लिए पट्टे की देनदारी की वहन राशि को समायोजित करती है, जिसे संशोधित छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देनदारियों का वहन मूल्य इसी तरह संशोधित किया जाता है जब किसी दर या सूचकांक पर निर्भर भविष्य के पट्टा भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय छूट दर से संबंधित अपरिवर्तित रहता है। दोनों ही मामलों में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बराबर समायोजन किया जाता है, शेष (संशोधित) पट्टा अवधि में संशोधित वहन राशि का परिशोधन किया जाता है। यदि उपयोग के अधिकार

वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को शून्य पर समायोजित किया जाता है, तो किसी भी और कमी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.19 भारतीय लेखाकरण मानकों में संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया है:

1. इंड एस 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।
2. इंड एस 8 - लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एस 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3. इंड एस 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4. इंड एस 16-प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण - संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की निवल बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत भाग के रूप में मानी जाने वाली सीधे तौर पर जिम्मेदार लागतों से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

नोट सं	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
4	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण		
	(क) भवन	789.29	826.59
	(ख) फ़र्निचर एवं फिक्सचर	28.51	40.60
	(ग) वाहन	14.40	16.97
	(घ) कार्यालय उपकरण	5.81	9.20
	(ङ) कंप्यूटर एवं सर्वर	5.08	9.82
	(च) नेटवर्किंग उपकरण	0.01	0.01
		843.10	903.19
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध वहन राशि का मिलान, जिसमें परिवर्धन, निपटान और अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यहास और हानि या उलटाव को अलग से दर्शाया गया है।	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें
4ए	अन्य अमूर्त संपत्ति		
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7.41	19.45
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध वहन राशि का मिलान, जिसमें परिवर्धन, निपटान और अन्य समायोजन और संबंधित परिशोधन और हानि या उलटाव को अलग से दर्शाया गया है।	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें
5	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार		
	पट्टे की भूमि	250.61	256.06
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध वहन राशि का मिलान, जिसमें परिवर्धन, निपटान और अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यहास और हानि या उलटाव को अलग से दर्शाया गया है।	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें	इस नोट के लिए अनुलग्न देखें

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

नोट- 4 का अनुलग्नक - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(शेयर अंकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख में हैं)

विवरण	भवन-आर. सी. सी.निर्मित ढाँचा	भवन-वातानुकूलन प्रणाली, अन्य प्रणाली	भवन-विद्युत संबंधी प्रणाली	भवन अस्थाई निर्माण, बाड़	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	वाहन	कार्यालय उपकरण	संगणक एवं सर्वर	संचारजाल पकरण	कुल
सकल वाहित मान										
1 अप्रैल, 2021 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	85.85	109.65	1.11	1,770.34
योग / समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.24	-	-	0.24
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	1.30	-	1.30
31 मार्च, 2022 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	86.09	108.35	1.11	1,769.28
योग / समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.05	0.88	-	0.93
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	86.14	109.23	1.11	1,770.21
संचित मूल्यहास										
1 अप्रैल, 2021 तक	86.81	69.62	218.17	39.12	171.04	2.75	69.91	89.89	1.10	748.41
वर्ष हेतु मूल्यहास/ समायोजन	14.47	11.62	36.56	6.36	30.49	2.56	6.98	9.59	-	118.63
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	0.95	-	0.95
31 मार्च, 2022 तक	101.28	81.24	254.73	45.48	201.53	5.31	76.89	98.53	1.10	866.09
वर्ष हेतु मूल्यहास/ समायोजन	14.47	11.61	7.29	3.93	12.09	2.57	3.44	5.62	-	61.02
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	115.75	92.85	262.02	49.41	213.62	7.88	80.33	104.15	1.10	927.11
निवल वाहित मान										
31 मार्च, 2022 तक	735.84	61.91	11.39	17.45	40.60	16.97	9.20	9.82	0.01	903.19
31 मार्च, 2023 तक	721.37	50.30	4.10	13.52	28.51	14.40	5.81	5.08	0.01	843.10

नोट:

- 1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।
- 2) वार्षिक किराया के आधार पर प्रारंभ में 60 वर्ष के लिए जिसकी शुरुआत दिनांक 01 फरवरी 2009 से हुई, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर दी गई जमीन पर भवन का निर्माण हुआ है। आपसी समझौते के आधार पर पट्टे की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

नोट 4 क का अनुलग्नक - अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

(शेयर ऑकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख में हैं)

विवरण	संगणक सॉफ्टवेयर (अर्जित)	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2021 तक	140.81	140.81
योग / समायोजन	3.42	3.42
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 तक	144.23	144.23
योग / समायोजन	0.00	0.00
निपटारा / समायोजन	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 तक	144.23	144.23
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2021 तक	102.31	102.31
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	22.47	22.47
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 तक	124.78	124.78
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	12.04	12.04
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	136.82	136.82
निवल वाहित मान		
31 मार्च, 2022 तक	19.45	19.45
31 मार्च, 2023 तक	7.41	7.41

नोट:

- 1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

नोट 5 का अनुलग्नक-उपयोगाधिकार परिसंपत्ति

कंपनी के पास मौजूद उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के विवरण निम्नप्रकार हैं:

विवरण	पट्टाधारी भूमि	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2021 तक	272.41	272.41
योग / समायोजन	-	-
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 तक	272.41	272.41
योग / समायोजन	-	-
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	272.41	272.41
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2021 तक	10.90	10.90
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	5.45	5.45
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 तक	16.35	16.35
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	5.45	5.45
निपटारा / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	21.80	21.80
निवल वाहित मान		
31 मार्च, 2022 तक	256.06	256.06
31 मार्च, 2023 तक	250.61	250.61

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में है।

		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
6	ऋण (अच्छा, असुरक्षित माना जाता है)		
	(क) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	0.28	0.42
	(ख) कर्मचारियों के अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0.16	0.15
		0.44	0.57
7	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(क) सुरक्षा जमा	0.02	0.02
	(ख) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	-	4,799.76
	(ग) सुरक्षा जमा के एवज में निर्गमित प्रत्याभूति हेतु बैंक जमा को हशिए के रूप में रखा जाता है	0.63	0.00
	(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज		15.94
		0.65	4,815.72
8	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
	(क) अग्रिम पूंजी	-	-
	(ख) आपूर्तिकर्ता अग्रिम	4,729.67	6,319.76
	(ग) कर प्राधिकारियों के पास जमा	5,000.00	5,000.00
	(घ) प्रोटेस्ट के तहत करों का भुगतान किया गया	5,500.78	5,500.78
	(ङ) कर-धन वारसी देय	17,217.24	17,004.89
		32,447.69	33,825.43
9	वस्तु सूची		
	व्यापार का कुल माल	0.21	15.72
10	व्यापार प्राप्तियाँ		
	(क) सुरक्षित व्यापार प्राप्य	304.92	339.01
	(ख) असुरक्षित व्यापार प्राप्य	3,710.95	18,219.08
	(ग) व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	12,993.54	12,089.11
	(घ) व्यापार प्राप्य - विचलित क्रेडिट	2,760.40	4,717.82
		19,769.81	35,365.02
	कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	12,993.54	12,089.11
	कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता - विचलित ऋण	2,760.39	4,717.82
		4,015.88	18,558.09

नोट 10 का अनुलग्नक
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में है)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनेसे कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षइससे अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - खरी मानी गई	657.25	6.44	68.40	2,633.42	650.37	4,015.88
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	394.81	9.61	157.40	10,391.98	10,953.80
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	2,749.75	2,749.75
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	2,039.74	2,039.74
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	10.64

31 मार्च, 2022 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनेसे कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षइससे अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - खरी मानी गई	1,372.22	90.20	2,825.05	4,754.08	9,516.54	18,558.09
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	65.58	3,038.82	6,944.97	10,049.37
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	4,707.18	4,707.18
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ- खरी मानी गई	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	2,039.74	2,039.74
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	10.64

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

11	नकद और नकद के समान	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
		8,665.74	237.07
	(क) बैंकों के पास शेष - चालू खाते	6,599.69	-
	(ख) 3 महीने से कम या उसके बराबर परिपक्वता वाली बैंक जमा	0.08	0.11
	(ग) उपलब्ध नकद	15,265.51	237.18
12	नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष		
		84,970.00	86,320.62
	(क) 12 महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	6.75	0.47
	(ख) सुरक्षा जमा के एवज में निर्गमित प्रत्याभूति गारंटी हेतु बैंक जमा हशिए के रुपए के रुप में रखा जाता है	0.04	477.29
	(ग) सीएसआर गतिविधियों के लिए बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	327.45	227.38
	(घ) सीएसआर गतिविधि हेतु निर्धारित बैंक जमा	85,304.24	87,025.76
13	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
		3,545.91	2,454.29
	(क) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	84.25	83.91
	(ख) बिल न किया गया राजस्व (अच्छा, असुरक्षित माना जाता है)	13.38	16.37
	(ग) अन्य पुनर्प्राप्तियाँ	3,643.54	2,554.57
14	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
		9,942.60	10,215.57
	(असुरक्षित-अच्छा माना जाता है)	-	5.73
	(क) आपूर्तिकर्ता अग्रिम	3,981.79	3,756.56
	(ख) परिपक्वता निधि	13,924.39	13,977.86
	(ग) राजस्व प्राधिकारियों के साथ शेष		

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

15	इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	(क) प्राधिकृत:		
	(i) रुपये के शेयरों की संख्या. 100 प्रत्येक	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
	(ii) शेयरों की राशि (लाख रुपये)	10,000.00	10,000.00
	(ख) निर्गमित, अभिदत्त और पूर्ण भुगतान:		
	(i) रुपये के शेयरों की संख्या. 100 प्रत्येक	6,80,000.00	6,80,000.00
	(ii) शेयरों की राशि (लाख रुपये)	680.00	680.00
	(ग) अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
	(i) वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर की संख्या	6,80,000.00	6,80,000.00
	(ii) वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-
	(iii) वर्ष के अंत में बकाया शेयर की संख्या	6,80,000.00	6,80,000.00
	(iv) वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर की राशि	680.00	680.00
	(v) वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर की राशि	-	-
	(vi) वर्ष के अंत में बकाया शेयर की राशि	680.00	680.00
(घ) लाभांश के वितरण और पूंजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, प्राथमिकता एवं प्रतिबंध:			
(i) कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन है।			
(ii) कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या नेटवर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा और पूंजी का पुनर्भुगतान इस प्रकार होगा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार है।			
(ड) कंपनी के 5% से अधिक शेयरों या शेयरों के वर्ग की शेयरधारिता का विवरण प्रत्येक 100 रुपये मूल्य के कुल 6,80,000 चुकता इक्विटी शेयरों में से 100% भारत के राष्ट्रपति और उसके नामांकित व्यक्ति के माध्यम से केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास हैं।			
(च) विकल्प के अंतर्गत निर्गम के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।			
(छ) तुलन पत्र की तिथि तक इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूतियां नहीं हैं।			
(ज) जिस तिथि को तुलन पत्र सृजित किया जाता है, उससे ठीक पहले की पांच साल की अवधि की जानकारी।			
		अनुलग्नक के अनुसार	

नोट 15 का अनुलग्न

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

तुलनपत्र तैयार किए जाने की तिथि के तुरंत पहले तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़ें

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
(i) बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक की दर से ₹ 340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर
(iii) पुनः क्रय किए गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य पर ₹ 0.40 लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर

प्रवर्तकों की शेयरधारिता के विवरण निम्नप्रकार हैं

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर					
प्रवर्तक का नाम	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	शेयर की संख्या	शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या	शेयर का प्रतिशत	
महामहिम राष्ट्रपति जी एवं उनके नामित सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार (भारत सरकार)	6,80,000	100%	6,80,000	100%	-
कुल	6,80,000	100%	6,80,000	100%	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में है।

		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
16	अन्य इक्विटी इक्विटी में परिवर्तन के संलग्न विवरण के अनुसार	1,47,992.03	1,50,706.62
17	पड़े की देनदारियां (क) गैर वर्तमान (ख) वर्तमान	269.76 0.61	270.38 0.57
		270.37	270.95
18	प्रावधान (क) कर्मचारी उपदान लाभ हेतु प्रावधान (ख) कर्मचारी अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु प्रावधान	0.60 6.84	-
		7.44	-
19	व्यापार देय (नोट के लिए अनुलग्नक देखें) (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया (ग) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बिल न किया गया बकाया	1.45 4,195.91 593.51	5.25 9,087.91 324.60
		4,790.87	9,417.76
	अतिरिक्त जानकारी: कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों पर बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है: विवरण 1 मूल राशि देय और शेष न चुकाई गई 2 उपर्युक्त (1) पर देय ब्याज और अवैतनिक ब्याज 3 एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान 4 वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान 5 उपर्युक्त (3) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज 6 अर्जित ब्याज और अवैतनिक शेष 7 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तिथि तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया जाता है।	1.45 - - - - - -	5.25 - - - - - -

नोट 19 का अनुलग्नक
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2023 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

विवरण		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	1.45	-	-	-	1.45
(ii)	अन्य	289.49	208.15	815.32	2,882.95	4,195.91
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2022 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

विवरण		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	5.25	-	-	-	5.25
(ii)	अन्य	1,255.44	1,199.34	1,655.19	4,977.94	9,087.91
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
20	वर्तमान-अन्य वित्तीय देनदारियाँ		
	(क) अन्य देनदारियों के लिए लेनदार	100.77	82.79
	(ख) प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुबंध जमा	1,030.64	1,122.26
		1,131.41	1,205.05
21	वर्तमान अन्य देनदारियाँ		
	(क) वैधानिक देनदारियाँ	192.44	269.58
	(ख) ग्राहकों से अग्रिम	2,280.65	481.17
	(ख) प्राप्त अग्रिम राजस्व	780.03	1,489.67
		3,253.12	2,240.42
22	प्रावधान		
	(क) कर्मचारी उपादान लाभ हेतु प्रावधान	1.06	0.00
	(ख) कर्मचारी अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु प्रावधान	11.26	11.40
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धताओं के लिए प्रावधान (नोट 29)	342.65	704.05
	(ग) का अनुलग्नक देखें		
		354.97	715.45

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

(शेयर आँकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
23	संचालन से राजस्व: (क) उत्पादों की बिक्री: (i) निर्यात (ii) घरेलू कुल (क) (ख) सेवाओं की बिक्री: (i) निर्यात प्रवेश शुल्क एवं स्वामित्व उत्क्रमण - प्रारंभ सेवाएँ मिशन सहायता सेवाएँ (ii) घरेलू अंतरिक्ष खंड क्षमता - इन्सेट कम: अंतरिक्ष विभाग राजस्व हिस्सेदारी अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह डेटा सूचना एक्सेस शुल्क रसीद मिशन सहायता सेवाएँ परामर्श सेवा रसीदें कुल (ख) कुल (क) + (ख)	 8.72 245.13 253.85 41.30 - 61.94 90.00 (76.5) 13.50 69.06 2,769.49 604.90 2.06 3,562.25 3,816.10	 64.60 1097.33 1161.93 170.99 (91.28) 60.19 (844.37) (717.72) (126.65) 13,932.64 2,447.16 604.90 4.74 17,002.69 18,164.62
24	अन्य आय: (क) ब्याज आय (i) बैंकों में जमा राशि पर (ii) व्यापार प्राप्य पर (iii) आयकर धनवापसी पर (iv) कर्मचारियों के अग्रिम पर (ख) ग्राहकों से प्रोत्साहन (ग) संदिग्ध ऋणों वापसी हेतु लिखा गया प्रावधान लिखा गया (घ) दायित्व को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है (ङ) सरकारी अनुदान आय (च) विक्रेताओं से परिसमाप्त क्षति रसीद (छ) किराए से आय (ज) विविध आय	 5,571.68 178.90 756.42 0.03 152.65 1,053.00 27.36 22.69 7.11 6.39 0.59 7,776.82	 4,420.61 228.54 - 0.05 140.56 243.89 23.15 22.69 - - 0.38 5,079.87
25	संचालन से राजस्व की लागत (क) उत्पादों की बिक्री की लागत (i) निर्यात (ii) घरेलू (निवल का उत्क्रम) कुल (क) (ख) सेवाओं की बिक्री की लागत (i) निर्यात प्रवेश शुल्क एवं स्वामित्व उत्क्रमण - प्रारंभ सेवाएँ मिशन सहायता सेवाएँ (ii) घरेलू परामर्श सेवाएँ अंतरिक्ष खंड क्षमता - विदेशी उपग्रह आँकड़ा सूचना पहुंच शुल्क मिशन सहायता सेवाएँ कुल (ख) कुल (क) + (ख)	 2.64 (413.78) (411.14) 24.78 - 35.24 1.04 17.62 2,559.04 526.50 3,164.22 2,753.08	 28.62 194.99 223.61 102.60 (73.03) 34.98 2.41 12,921.71 2,248.78 526.50 15,763.95 15,987.56

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

(शेयर ऑकड़ों एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

26	व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (i) आरंभिक स्टॉक (ii) कम: समापन स्टॉक	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
		15.72	16.63
		0.21	15.72
		15.51	0.91
27	कर्मचारी लाभ व्यय वेतन और बोनस अन्य निधियों में योगदान कर्मचारी कल्याण व्यय	245.03	278.22
		51.76	45.82
		4.11	5.30
		300.90	329.34
28	वित्त लागत लीज देनदारी पर ब्याज	22.22	22.27
		22.22	22.27
29	अन्य व्यय यात्रा व्यय मुद्रण एवं लेखासामग्री सूचना व्यय विधिक शुल्क एवं व्यय परामर्श एवं वृत्ति शुल्क दर एवं कर विज्ञापन एवं प्रचार परिसमापन हर्जाना सदस्यता और अंशदान जनशक्ति व्यय बीमा शुल्क विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं प्रकार्य पर निलव हानि बैंक शुल्क बैंक प्रत्याभूति एवं एलसी शुल्क मरम्मत एवं रखरखाव - अन्य लेखापरीक्षकों को भुगतान: वैधानिक लेखापरीक्षा के पक्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ व्यय (विवरण अनुलग्नक के अनुसार) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि विविध व्यय	22.17	17.78
		1.73	2.99
		18.04	19.12
		1,404.15	1,578.81
		27.48	35.32
		4.95	287.40
		7.59	6.38
		-	88.90
		2.38	4.39
		59.19	72.90
		2.06	4.37
		33.74	393.84
		(0.18)	3.69
		(11.90)	(13.73)
		19.79	36.40
		4.00	5.40
		324.79	574.86
		-	0.18
		11.52	14.58
			1,931.50
30	आस्थगित कर वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाला आस्थगित कर		
		270.09	53.33
		270.09	53.33

नोट 29 का अनुलग्नक
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में किए गये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('सीएसआर') व्यय के विवरण

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय नहीं की गई/(समायोजन हेतु राशि)	(0.08)	(0.53)
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए आबंटित राशि	293.25	549.00
जोड़ें : सीएसआर निधि पर अर्जित ब्याज	2.99	26.31
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए कुल राशि	296.16	574.78
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं संबंधित गतिविधियाँ	28.07	45.72
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ), युद्धमें दिवंगत सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए मेमर्स केंद्रीय सैनिकबोर्ड (केएसबी) में योगदान	-	5.00
महिला सशक्तिकरण	-	5.07
विद्यालयों, अस्पतालों, घरों, सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों में स्वच्छता	-	0.54
चिकित्सा उपकरण, सहायता एवं उपकरण तथा पोषण	291.33	401.22
ऊर्जा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का संरक्षण	5.39	0.00
वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के लिए उपकरण और सहायता	-	12.27
वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण - बाघों के लिए रेडियो कॉलर और दो डिजिटल ट्रैकर	-	105.00
विविध सीएसआर व्यय	-	0.04
कुल व्यय	324.79	574.86
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय हेतु/(समायोजन हेतु राशि)	(28.63)	(0.08)
व्यय में शामिल प्रतिबद्ध देयता जिसे व्यय किया जाना बाकी है	342.65	704.05
इण्ड एस 24 के अनुरूप सीएसआर व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण के विवरण - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	शून्य	शून्य

31 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
कर कटौती में समयांतर	3,964.95	4,229.98
	3,964.95	4,229.98
(ख) आस्थगित कर देयता		
कर कटौती में समयांतर	1,188.41	1,183.33
	1,188.41	1,183.33
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	2,776.54	3,046.65

31 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) जारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

क) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
वर्तमान कर व्यय:	1,366.89	1,075.20
आस्थगित कर व्यय	270.09	53.33
निवल कर व्यय	1,636.98	1,128.53

ख) अन्य व्यापक आय में मान्य राशि		
विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा		
रोज़गार के बाद पारिभाषित लाभ योजनाओं पर (हानि)/लाभ का पुनर्मापन	1.59	12.62
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	(0.40)	(3.20)
कुल	1.19	9.42

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य				
विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	
	राशि	दर	राशि	दर
कर पूर्व लाभ	6,491.21	25.168%	3,624.28	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	1,633.71		912.16	
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन पर कर प्रभाव				
पिछले वर्ष का कर व्यय		(80.89)		-
स्थायी अंतर	334.42	84.16	859.70	216.37
समायोजन (निवल) का प्रभाव	334.42	3.27	859.70	216.37
समायोजन पर कर का प्रभाव	3.27		216.37	
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय	1,636.98		1,128.53	
प्रभावी कर की दर		25.22%		31.14%

31 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) जारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख में हैं)

घ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक	लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2022 तक
कर कटौती में समयांतर	कर परिसंपत्ति			कर परिसंपत्ति
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	4,291.35	(61.37)	-	4,229.98
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	4,291.35	(61.37)	-	4,229.98
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
कर देयता				कर देयता
कर कटौती में समयांतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	36.59	(8.04)	-	28.55
	1,191.37	(8.04)	-	1,183.33
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	3,099.98	(53.33)	-	3,046.65

ङ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक	लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2023 तक
कर कटौती में समयांतर	कर परिसंपत्ति			कर परिसंपत्ति
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	4,229.98	(265.03)	-	3,964.95
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	4,229.98	(265.03)	-	3,964.95
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
कर देयता				कर देयता
कर कटौती में समयांतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	28.55	5.08	-	33.63
	1,183.33	5.08	-	1,188.41
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	3,046.65	(270.11)	-	2,776.54

32 प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि रु. लाख में हैं)

i. एक्विटी धारक से संबंधित लाभ

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	4,854.22	2,495.75
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	4,854.22	2,495.75
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	4,854.22	2,495.75

ii. प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रश्रय दी गई शेयर की औसत संख्या	6,80,000.00	6,80,000.00
मिले जुले प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	6,80,000.00	6,80,000.00
₹ 100 के मामूली मान की प्रति शेयर मौलिक आय (₹)	713.86	367.02
₹ 100 के मामूली मान की प्रति शेयर मिली-जुली आय (₹)	713.86	367.02

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन					
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट					
क. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य					
31 मार्च, 2023 तक					
	एफवीटीपीएल	एफवीटीपीएल ओसीआई	वाहित मूल्य परिशोधित लागत	कुल	उचित मान (शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि रु. लाख में हैं)
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति					
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	0.44	0.44	-
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.02	0.02	-
प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित	-	-	0.63	0.63	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	4,015.88	4,015.88	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	15,265.51	15,265.51	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	85,304.24	85,304.24	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	13.38	13.38	-
अन्य वसूली योग्य	-	-	84.25	84.25	-
बिना बिल के राजस्व	-	-	3,545.91	3,545.91	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	1,08,230.26	1,08,230.26	-
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता					
दीर्घकालीन वित्तीय देयता	-	-	269.76	269.76	-
पट्टा देयता	-	-	0.61	0.61	-
चालू वित्तीय देयता	-	-	4,790.87	4,790.87	-
पट्टा देयता	-	-	100.77	100.77	-
व्यापार देय	-	-	1,030.64	1,030.64	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	6,192.65	6,192.65	-

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट
31 मार्च, 2022 तक

(शेयर ऑफ़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख में हैं)

	वाहित मूल्य				उचित मान		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	0.57	0.57	-	-	-
कर्मचारियों को अभिगम	-	-	0.02	0.02	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	4,815.70	4,815.70	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	18,558.09	18,558.09	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	237.18	237.18	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	87,025.76	87,025.76	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	16.37	16.37	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	83.91	83.91	-	-	-
अन्य वसूली योग्य	-	-	2,454.29	2,454.29	-	-	-
अन्य वसूली योग्य	-	-	1,13,191.89	1,13,191.89	-	-	-
बिना बिल के राजस्व	-	-	-	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रौढ़ ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-
पट्टा देयता	-	-	270.38	270.38	-	-	-
चालू वित्तीय देयता	-	-	0.57	0.57	-	-	-
पट्टा देयता	-	-	9,417.76	9,417.76	-	-	-
व्यापार देय	-	-	82.79	82.79	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	1,122.26	1,122.26	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य सविदा जमा	-	-	10,893.76	10,893.76	-	-	-

उचित मूल्य क्रम

उचित मूल्य मापन - नोट 3.4 (vii) का संदर्भ लें

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम ;और;
- बाजार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य, नकदी, बैंक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाजार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख में हैं)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यतः कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियाँ एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वांछित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

(क) व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित कर सकता है।

उद्योगजगत के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्न लिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च, 2023 तक

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई?
छ: महीने से कम	0.00%	नहीं
छ: माह--1 वर्ष	98.40%	नहीं
1-2 वर्ष	12.31%	नहीं
2-3 वर्ष	5.64%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	95.03%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	100.00%	हाँ

31 मार्च, 2022 तक

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई?
छ: महीने से कम	0.00%	नहीं
छ: माह--1 वर्ष	0.00%	नहीं
1-2 वर्ष	2.27%	नहीं
2-3 वर्ष	38.99%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	48.56%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	100.00%	हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

	'31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	'31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल तक शेष	16,806.93	17,050.82
पहचान की गई क्षति हानि	-	-
पुनर्लिखित राशि	1,053.00	243.89
31 मार्च तक शेष	15,753.93	16,806.93

ऋण जोखिम का भौगोलिक अभिकेंद्रन

व्यापार प्राप्तियों का भौगोलिक अभिकेंद्रन (सकल एवं निवल भत्ता), बिना बिल की प्राप्तियाँ एवं संविदा परिसंपत्ति अधोलिखित हैं:

देश	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	सकल%	निवल%	सकल%	निवल%
भारत	86.66	99.96	92.71	99.45
अमेरिका का संयुक्त राज्य	0.26	0.00	0.38	0.54
नीदरलैंड	10.87	0.00	5.73	0.00
अन्य देश	2.21	0.04	1.18	0.01

व्यापार प्राप्तियों का देश-व्यापी अनावरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

(ख) नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2023 रु.15,265.51 लाख (31 मार्च 2022 तक रु.237.18 लाख) का नकद और नकद समतुल्य था। नकद और नकद समतुल्य बैंक के पास रखा हुआ है।

33. वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि रु.लाख में हैं)

iii. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थितियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

संविदात्मक नकद प्रवाह					
31 मार्च, 2023 तक	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
सामान्य					
व्यापार देय	4,790.87	4,790.87	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
अन्य देयता के लिए लेनदार	100.77	100.77	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,030.64	1,030.64	-	-	-
	5,922.28	5,922.28	-	-	-

संविदात्मक नकद प्रवाह					
31 मार्च, 2022 तक	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय					
सामान्य					
व्यापार देय	9,417.76	9,417.76	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
अन्य देयता के लिए लेनदार	82.79	82.79	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,122.26	1,122.26	-	-	-
	10,622.81	10,622.81	-	-	-

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर ऑफ़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि रु. लाख में हैं)

iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है – जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर – कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलतः ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया(₹) है।

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक ऑफ़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च, 2023 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.42	-	1.60	26.82	2,577.13	-	145.09	2,432.04
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	0.64	-	20.04	(19.40)	52.84	-	1,654.70	(1,601.86)

31 मार्च, 2022 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.42	-	1.41	27.01	2,432.47	-	120.68	2,311.79
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1.78	-	31.28	(29.50)	135.58	-	2,382.60	-2,247.02

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है

	(लाभ)/हानि		एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च, 2023				
ईयूआर (1% परिचालन)	24.32	-24.32	18.20	-18.20
यूएसडी (1% परिचालन)	-16.02	16.02	-11.99	11.99
31 मार्च, 2022				
ईयूआर (1% परिचालन)	23.12	-23.12	17.30	-17.30
यूएसडी (1% परिचालन)	-22.47	22.47	-16.81	16.81

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं।

	वर्ष के अंत में दर	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
यूरो	90.68	85.59
यूएसडी	82.57	76.17

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

34. खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

35. संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) है। अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, कंपनी को सरकार के साथ या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संबंधित पक्ष से लेनदेन के विस्तृत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणी में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन करती हैं, उनमें अंतरिक्ष विभाग ('अं.वि'), रक्षा मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। सरकारी एजेंसियों/सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सी.एस.आर योगदान को इण्ड-एस 24 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता है।

नियंत्रण प्रतिष्ठान		अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	
विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रमुख प्रबंधन दल			
संबंधित पक्ष का नाम		संबंध	संबंध
श्री राकेश शशिभूषण (13.12.2021 तक)		-	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल		अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची			
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक			
अल्पकालीन कर्मचारी वेतन लाख		40.30	81.08
कार्य-समापन लाभ		-	14.46
		40.30	95.54
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार			
वर्ष के दौरान राजस्व		1,618.03	1,404.96
वर्ष के दौरान राजस्व पर किए गए व्यय		70.54	1,356.71
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व		13.50	(126.65)
व्यय की प्रतिपूर्ति		0.47	0.29
		1,702.54	2,635.31
अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र			
वर्ष के दौरान राजस्व			3,220.21
संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची			
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय (निवल)	1,328.47	5,645.26	
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्य (निवल)	-	13,070.62	
अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्राप्य (निवल)	2,691.78	3,919.12	

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

36. पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, समायोजित निवल ऋण एवं 'समायोजित एक्विटी के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर इक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। 31 मार्च तक कंपनी के समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे:

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कुल देयता	9,808.18	13,849.63
घटाइए : नकद एवं नकद समतुल्य	15,265.51	237.18
समायोजित निवल ऋण	(5,457.33)	13,612.45
कुल एक्विटी	1,48,672.03	1,51,386.62
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित एक्विटी	1,48,672.03	1,51,386.62
समायोजित निवल ऋण हेतु समायोजित एक्विटी का अनुपात	(0.04)	0.09

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर ऑफ़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

37. कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता

(नोट 3 में लेखा नीति देखें)

i. उपदान

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
पारिभाषित लाभ दायित्व	90.81	80.88
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	(89.15)	(86.61)
कुल कर्मचारी लाभ देयता	1.66	(5.73)
लाभ एवं हानि लेखा में मान्य व्यय	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू सेवा लागत	9.40	9.90
निवल ब्याज लागत/ कुल (आय) पारिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति)	(0.42)	(2.32)
कुल	8.98	7.58
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन	(1.17)	(5.21)
- अनुभव भिन्नता (यानी वास्तविक अनुभव बनाम धारणाएं)	(1.08)	(8.84)
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर निवल ब्याज व्यय में	0.66	1.43
कुल	(1.59)	(12.62)
शुद्ध पारिभाषित लाभ दायित्व का समाधान		
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष की आरंभ में शेष	80.88	79.58
लाभ का भूगतान	(3.12)	-
वर्तमान सेवा लागत	9.40	9.90
ब्याज लागत	5.90	5.45
पिछला सेवा लाभ	-	-
बीमांकिक (लाभ) हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई		
- जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन	-	-
- वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन	(1.17)	(5.21)
- अनुभव समायोजन	(1.08)	(8.84)
वर्ष के अंत में शेष राशि	90.81	80.88
योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का समाधान	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष की आरंभ में शेष	86.61	113.57
योजना में भूगतान किया गया अंशदान	-	0.69
लाभ का भूगतान	(3.12)	-
ब्याज आय	6.32	7.77
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(0.66)	(1.43)
शेष निधि में समायोजन	-	(33.99)
वर्ष के अंत में शेष राशि	89.15	86.61
शुद्ध पारिभाषित लाभ (संपत्ति)	1.66	(5.73)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

उपादान (जारी)
1. बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
छूट की दर	7.40%	7.30%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महंगाई भत्ते की वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2. जनसांख्यिकीय धारणाएँ

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
मृत्यु दर (आईएलएम 2012-14 का%)	100%	100%
उम्र के आधार पर निकासी दर (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31-40 वर्ष	2%	2%
40 वर्ष से ऊपर	1%	1%

भविष्य की मृत्यु दर के संबंध में धारणाएँ प्रकाशित आँकड़ों और मृत्यु तालिकाओं पर आधारित हैं।

3. संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तिथि पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन, अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, नीचे दिखाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करेंगे।

	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	घटना	बढ़ना	घटना	बढ़ना
छूट दर (1% मूवमेंट) रु. लाख	104.61	79.32	93.32	70.56
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	15.20%	-12.60%	15.40%	-12.80%
भविष्य में वेतन वृद्धि (1% मूवमेंट) रु. लाख	77.11	107.04	68.45	95.64
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-15.10%	17.90%	-15.40%	18.30%
क्षय दर (50% गति) रु. लाखों	91.00	90.59	81.14	80.61
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	0.20%	-0.20%	0.30%	-0.30%
मृत्यु दर (10% गतिशीलता) रु. लाखों	90.07	91.33	80.05	81.45
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.80%	0.60%	-1.00%	0.70%

पात्र कर्मचारियों को देय उपादान एलआईसीजीजीएफ के साथ एक पॉलिसी के माध्यम से प्रशासित की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से गणना की गई वार्षिक मांग को लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

ऊपर बताई गई राशि में कंपनी के लिए काम करने वाले अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के संबंध में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को लागत की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं।

ii. अवकाश मूल्यांकन
1. संपत्ति और देनदारी (तुलन पत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
दायित्व का वर्तमान मूल्य	157.60	133.80
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	139.50	122.40
आधिक्य //(घाटा)	(18.10)	(11.40)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल देयता	(18.10)	(11.40)

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान देनदारी (अल्पावधि)	11.26	11.40
गैर-वर्तमान देयता (दीर्घकालिक)	6.84	-
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18.10	11.40

अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह अवकाश नकदीकरण योजना के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से अंतर दायित्व को लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय पर लगाया जाता है।

ऊपर बताई गई राशि में कंपनी के लिए काम करने वाले अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के संबंध में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को लागत की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी कंपनी से संबंधित नहीं हैं।

38. इण्ड एस 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2021 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31 मार्च, 2022 तक
उपदान				
चालू	-	-	-	-
दीर्घकालीन	-	-	-	-
अवकाश नकदीकरण				
चालू	8.73	11.40	8.73	11.40
दीर्घकालीन	39.97	-	39.97	-
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	822.02	433.79	551.76	704.05
कुल	870.72	445.19	600.46	715.45

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2021 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31 मार्च, 2022 तक
उपदान				
चालू	-	1.06	-	1.06
दीर्घकालीन	-	0.60	-	0.60
अवकाश नकदीकरण				
चालू	11.40	11.26	11.40	11.26
दीर्घकालीन	0.00	6.84	-	6.84
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	704.05	524.65	886.05	342.65
कुल	715.45	544.41	897.45	362.41

39. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एस-38 -अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख रु. में हैं)

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(ङ)	सकल वाहित राशि	रु. 144.23 लाख (पिछले वर्ष रु. 144.23 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	रु. 136.82 लाख (पिछले वर्ष रु. 124.78 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	मूल्यहास और परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि की शुरुआत और अंत में संचित हानि	शून्य
अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य		
(i)	परिवर्धन, जो आंतरिक विकास से अलग-अलग इंगित करते हैं, जो अलग से प्राप्त किए गए हैं, और जो समामेलन के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं	अलग से प्राप्त - रु. 0.00 लाख (पिछले वर्ष रु. 3.42 लाख)। कोई भी सॉफ्टवेयर आंतरिक रूप से या समामेलन के माध्यम से विकसित नहीं किया गया है
(ii)	इण्ड एस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त कोई भी परिशोधन	रु. 12.04 लाख (पिछले वर्ष 22.47 लाख रुपये)
(vi)	वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति मुद्रा में अंतरण और किसी विदेशी परिचालन के इकाई की प्रस्तुति मुद्रा में अंतरण पर उत्पन्न होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वहन राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

40. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए चालू वर्ष के लिए इण्ड एस 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर ऑकड़े एवं यथोल्लेखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

इण्ड एस 116 का क्रियान्वयन-पट्टेदार के तौर पर पट्टा

कंपनी के पास केवल एक ही पट्टा है। उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार भूमिका पट्टा। 01 अप्रैल, 2019 से इस पट्टा करार पर इण्ड एस 116 लागू किया गया। 01 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयता पर लागू पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर का वाहित औसत 8.20% प्रति वर्ष था।

परिवर्तन के कारण, नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और ₹272.41 लाख की पट्टा देयता स्वीकार की गई है।

तुलन पत्र में उपयोगाधिकार परिसंपत्ति को 'दीर्घकालीन' परिसंपत्ति के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है एवं पट्टा देयता को 'चालू एवं दीर्घकालीन वित्तीय देयता' के अंतर्गत को दर्शाया गया है।

i) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	250.61	256.06
ख) पट्टा देयता		
चालू	0.61	0.57
दीर्घकालीन	269.76	270.38
कुल पट्टा देयता	270.37	270.95
ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में योग	-	-

ii) लाभ और हानि के विवरण में मान्य प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यहास शुल्क	5.45	5.45
ख) ब्याज व्यय	22.22	22.27
ग) अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

iii) नकद प्रवाह

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
पट्टे के कारण कुल नकद बहिर्गमन	0.10	0.10

iv) भविष्य की प्रतिबद्धता

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
भविष्य के बिना बड़े वाले पट्टे के भुगतान जिसके लिए पट्टा करार अभी तक आरंभ नहीं	-	-

v) अप्रकट पट्टा देयता का परिपक्व विश्लेषण (₹ 22.69 लाख की सरकारी अनुदान राशि सहित)

अवधि	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
एक वर्ष के बाद नहीं	22.79	22.79
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्षों के बाद नहीं	91.14	91.14
पाँच वर्षों के बाद	930.43	953.22
कुल	1,044.36	1,067.15

प्रचालनीय पट्टा

31 मार्च तक, अविलोप्य प्रचालनीय पट्टे के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम किए जाने वाले पट्टा भुगतान (₹. 22.69 लाख की सरकारी अनुदान के अलावा) अधोलिखित हैं

अवधि	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
एक वर्ष से कम में देय	0.10	0.10
एक और पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक के बाद देय	4.10	4.20
	4.60	4.70

41 इण्ड एस 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान का प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 60 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि ली है जो ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर कंपनी का अकेला हिस्सेदार भी है।

मूल्यांकन के आधार पर, पट्टा किराए का अनुमानित उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रतिवर्ष है। इण्ड एस 20 के "सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण" के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।

		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
42	आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ: (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो) (i) आकस्मिक देयता:		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
	(i) मांग की तिथि तक ब्याज और जुर्माने सहित कर्नाटक मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर इन मांगों के विरुद्ध, (वर्तमान और पिछले दोनों वर्षों के लिए लागू) विरोध के तहत 912.47 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 12.03.2010 के निर्देशों के अनुसार 5,000 लाख रुपये की राशि जमा की गई।	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) इन मांगों के विरुद्ध मांग की तिथि तक सेवा कर (ब्याज एवं जुर्माना सहित) विरोध के तहत रु. 4,588.31 लाख (पिछले वर्ष 4,588.31 लाख रुपये) का भुगतान किया गया।	6046.19	5,900.84
	(iii) आज तक सेनवैट क्रेडिट (ब्याज और जुर्माना सहित) के लाभ के विरुद्ध सेवा कर की मांग के प्रति, केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील के विरुद्ध रु. 10.25 लाख (पिछले वर्ष 10.25 लाख रुपये) का भुगतान किया गया था।	शून्य	377.21
	(iv) भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दावे के विरुद्ध इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान की गई राशि। कंपनी ने इस अधिनिर्ण का विरोध किया है जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जो राशि रुपये में दर्शाई गई है। 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता अधिनिर्ण पर आधारित है, साथ ही अधिनिर्ण-पूर्व और	शून्य	6,41,808.62

	<p>अधिनिर्ण-पश्चात् ब्याज की गणना अधिनिर्ण में दिए गए तरीके से की गई है और प्राप्त कानूनी राय के आधार पर 43.78 प्रति अमेरिकी डॉलर की अनुबंधित विदेशी मुद्रा दर पर परिवर्तित की गई है। (नीचे 44 (घ) भी देखें)</p> <p>(v) वित्त वर्ष 2016-17 हेतु आयकर आकलन अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है</p> <p>(vi) वित्त वर्ष 2019-20 हेतु आयकर आकलन अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है</p> <p>(vii) वित्त वर्ष 2020-21 हेतु आयकर आकलन अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है</p>	<p>211.48</p> <p>38.98</p> <p>163.07</p>	<p>211.48</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>
	कुल	1,50,900.16	7,92,738.59
	<p>(ख) प्रत्याभूति :</p> <p>(i) बैंक प्रत्याभूति</p> <p>(ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:</p> <p>ii) प्रतिबद्धताएँ:</p> <p>(क) पूंजीगत लेखा पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि एवं इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया;</p> <p>(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ</p>	<p>6.75</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>	<p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>
	कंपनी का मत है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयताओं के लिए संसाधनों का कोई बहिर्प्रवाह नहीं होगा।		
43	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के बारे में मंडल का मत, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में इसकी प्राप्ति के संबंध में कम से कम उस राशि के बराबर जिस पर वे बताई गई हैं।	मंडल का मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा बही में बताई गई हैं।	मंडल का मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा बही में बताई गई हैं।

44. विवादों के विवरण:

क्र.सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहां मामला/विवाद लंबित है	31 मार्च, 2023 तक विवाद में शामिल राशि (लाख रुपये)
क.	दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.07.2008 की अवधि के लिए केवीएटी और सीएसटी मांग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56

विवाद की स्थिति:

सिविल अपील की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03 मई 2010 द्वारा "निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक कोई वसूली न करने का आदेश दिया है"।

ख.	दिनांक 01.08.2008 से दिनांक 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.एटी एवं सी.एस.टी (वर्ष 2009-10 हेतु के.वी.एटी. का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसलिए इसे अलग से दर्शाया गया है)। आदेश निम्नानुसार हैं: i. आदेश संख्या 221736837 / 05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष-2009-10 के लिए के.वी.एटी ii. आदेश संख्या 259709721 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.एटी iii. आदेश संख्या 251709773 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.एटी iv. आदेश संख्या 275709811 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष-2012-13 के लिए के.वी.एटी v. आदेश संख्या 232709848 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.एटी	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय/भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88
----	---	---	-------------

विवाद की स्थिति:

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इन अवधियों के लिए जारी किए गए मूल्यांकन आदेशों के विरुद्ध कंपनी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समादेश याचिका दायर की है।

20 सितंबर 2016 को एल.डी. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर कंपनी को अगस्त 2008 से मार्च 2014 की अवधि के लिए मांगे गए कर का 50% 3 महीने की अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने के अधीन रखा गया था।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर की गई समादेश अपील को दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपीएस) दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और 2010 की मूल अपील संख्या 2349-2352 के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। मामला भारत के

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।			
कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका भी दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने 03 अप्रैल, 2017 को इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित संबंधित मामलों को उसके समक्ष सिविल अपील की कार्यवाही के निपटान के बाद ही लिया जाएगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपीलों में पारित आदेश उच्च न्यायालय स्वाभाविक रूप से इसका पालन करेगा।			
ग.	जुलाई 2012 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों को प्रदान की गई प्रमोचन सेवाओं पर सेवा कर की मांग	सीईएसटीएटी, बेंगलूर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण)	5,900.84
विवाद की स्थिति: अपील सीईएसटीएटी, बेंगलूर के समक्ष लंबित है। हालाँकि, सेवा कर के विरोध के तहत ब्याज और जुर्माना छोड़कर राशि रु 4,588.31 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।			
घ.	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार को रद्द किए जाने के फलस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी.), पेरिस के समक्ष करार समापन के चलते क्षति का मामला उठाया था।	नगर सिविल न्यायालय, बेंगलूर/ दिल्ली उच्च न्यायालय/ भारत का सर्वोच्च न्यायालय/ पेरिस अपील न्यायालय/ पश्चिमी वाशिंगटन, सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका का जिला न्यायालय/ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंगलूर/नौवें सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अपील न्यायालय, सैन फ्रांसिस्को/ पूर्वी वर्जीनिया का जिला न्यायालय/ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्वींस खंडपीठ, वाणिज्यिक न्यायालय, लंदन (यूके)	रु 641,808.62 (विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर रु.43.78 प्रति अमेरिकी डालर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अलावा 562.50 मिलियन अमेरिकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है।)
विवाद की स्थिति: कंपनी एवं मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास') ने दिनांक 28.01.2005 को "मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एनट्रिक्स एस- बैण्ड" की अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए करार" किया था जिसे उक्त करार में उपलब्ध तार्किक आधार का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.02.2011 को एनट्रिक्स द्वारा जारी निरस्तीकरण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस निरस्तीकरण को देवास ने चुनौती दी जिस कारण विभिन्न न्यायिक एवं अर्धशासी-			

न्यायिक कार्यवाही का उद्भव हुआ।

करार समाप्ति के परिणामस्वरूप, देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी) के तत्वावधान में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत की थी। कंपनी के आपत्ति के बावजूद कंपनी की भागीदारी के बिना आई.सी.सी मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। आई.सी.सी न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय सुनाया जिसमें देवास को (i) 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति (ii) दिनांक 25.02.2011 से अधिनिर्णय सुनाने की तिथि तक 3 महीने की छूट +4% की दर से ब्याज (iii) अधिनिर्णय सुनाने की तिथि से पूरा भुगतान होने तक (i) एवं (ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उल्लेख किया।

भारतीय कानूनी कार्यवाही

दिनांक 14.09.2015 के आईसीसी अधिनिर्णय के अनुसरण में, कंपनी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अतिरिक्त सिटी सिविल जज, बेंगलूरु के समक्ष आईसीसी अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए अधिनिर्णय रद्द करने की याचिका दायर की।

01 दिसंबर, 2018 को कंपनी ने अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की कुछ टिप्पणियों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की और इसे उपर्युक्त देवास एसएलपी के साथ टैग किया गया था। कंपनी द्वारा 06 दिसंबर, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 28.02.2017 के आदेश को चुनौती देते हुए एक और एसएलपी दायर की गई थी। संबंधित मामले में 04 नवंबर, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, आईसीसी अधिनिर्णय की कार्यवाही को रद्द करते हुए इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अगस्त 2022 के तहत कंपनी के विरुद्ध 562.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईसीसी पंचाट अधिनिर्णय को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि "दिनांक 14.09.2015 का विवादित अधिनिर्णय पेटेंट अवैधताओं और धोखाधड़ी से ग्रस्त है और भारत की सार्वजनिक नीति के विरोध में है"। आदेश में, अन्य बातों के अलावा, यह भी माना गया कि देवास ने धोखाधड़ी से अनुबंध प्राप्त किया था, उसके पास आवश्यक लाइसेंस नहीं थे, आवश्यक आईपीआर नहीं थे और देवास द्वारा किया गया निवेश और प्रेषण नियामक मानदंडों का उल्लंघन था।

इसके बाद, देवास के शेयरधारकों ने आदेश को रद्द करते हुए इस अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने भी अस्वीकार कर दिया था और 17 मार्च, 2023 के अपने आदेश के तहत अधिनिर्णय को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा था। एक विशेष अनुमति दिल्ली उच्च न्यायालय खण्डपीठ के आदेश के विरुद्ध देवास एम्प्लॉइज फंड यूएस एलएलसी द्वारा 03 जुलाई, 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है।

विदेशी कानूनी कार्यवाही

देवास ने मध्यस्थ अधिनिर्णय को फ्रांस में एक फैसले में बदल दिया था, और पेरिस के प्रथम दृष्टया न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से 22 अक्टूबर, 2015 को एक निष्पादक आदेश प्राप्त किया था। एन्ट्रिक्स ने इस निष्पादक आदेश के विरुद्ध पेरिस अपील न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद, कंपनी ने इस आदेश के विरुद्ध फ्रांसीसी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की, जिसने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुचित संविधान के बारे में एन्ट्रिक्स के तर्कों पर पुनर्विचार हेतु मामले को पेरिस कोर्ट ऑफ अपील्स में वापस भेज दिया। हालाँकि, अपील न्यायालय ने एन्ट्रिक्स की अपील को फिर से रद्द कर दिया। इसके अनुसरण में, एन्ट्रिक्स ने पुनः फ्रांसीसी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की है।

देवास ने आईसीसी अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के जिला न्यायालय के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कार्यवाही शुरू की है, जिसका कंपनी ने विरोध किया था। हालाँकि, न्यायालय ने अधिनिर्णय की पुष्टि की 27 अक्टूबर, 2020 को अपने आदेश के तहत निर्णय की तिथि से भुगतान एवं लागत तक

0.12% ब्याज के साथ 1,293 मिलियन डॉलर का फैसला सुनाया। एन्ट्रिक्स ने सैन फ्रांसिस्को में नौवें सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अपील न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जो सुनवाई के लिए लंबित है।

देवास के कुछ शेयरधारकों एवं देवास की अमेरिकी सहायक कंपनी, डीएमएआई ने, अन्य बातों के अलावा, सिएटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द नाइन्थ सर्किट कोर्ट, यूएसए के समक्ष प्रतिस्थापन और हस्तक्षेप के लिए आवेदन भी दायर किए। जबकि हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति दी गई थी, प्रतिस्थापन के आवेदनों को दोनों न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने अन्य अमेरिकी जिला न्यायालयों में अधिनिर्णय पुष्टिकरण निर्णय के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए सिएटल जिला न्यायालय में एक प्रस्ताव दायर किया, हालांकि उन्हें इसे केवल वर्जीनिया के पूर्वी जिले के जिला न्यायालय में पंजीकृत करने की अनुमति दी गई, जिसने बाद में इंटेल्सैट को \$87,457.47 जमा करने का आदेश दिया, जिस पर सहमति व्यक्त की गई थी। जो एन्ट्रिक्स से डीएमएआई के पक्ष में देय होगा। कंपनी ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अधिकार प्रदान करने के लिए नौवें सर्किट कोर्ट के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है और यह विचाराधीन है।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने अधिनिर्णय प्रवर्तन में पक्षकार बनाए जाने के लिए 24 फरवरी, 2021 को हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वीन्स बेंच डिवीजन, कमर्शियल कोर्ट, लंदन (यूके) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। अदालत के आदेश के आधार पर, जॉइन्डर आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज एन्ट्रिक्स को ईमेल द्वारा भेजे गए थे। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर, यह पाया गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर, 2015 को आईसीसी अधिनिर्णय की पुष्टि करते हुए एकपक्षीय आदेश जारी किया था। हालांकि, उक्त आदेश आज तक एन्ट्रिक्स पर लागू नहीं किया गया है।

डीएमएआई ने आईसीसी अधिनिर्णय को लागू करने की अनुमति के लिए अक्टूबर, 2021 में हेग, नीदरलैंड में जिला अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। सुनवाई हुई है और फैसले की सुनवाई अरक्षित कर ली गई है।

प्रकट की गई आकस्मिक देयता प्राप्त विधिक मत पर आधारित है।

विधिक सलाहकारों/वकीलों के परामर्श से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

45. कंपनी ने 2017-18 में इन्सैट/जीसैट स्पेस खंड से राजस्व की मान्यता पर आइसीएआई से राय मांगी थी। राय के अनुसार, कंपनी को अंतरिक्ष विभाग के हिस्से के निवल राजस्व का हिसाब देना आवश्यक है। कंपनी ने उक्त राय के अनुसार इन्सैट/जीसैट स्पेस खंड से राजस्व का हिसाब लगाया है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त इस खंड के कारण राजस्व 13.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष-रु (126.65 लाख) [जारी किए गए क्रेडिट नोट का निवल] है।
46. कंपनी ने उक्त ग्राहक के उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के माध्यम से एक विदेशी ग्राहक को सेवाएं प्रदान की हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विदेशी ग्राहक सुविधा के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से शुरू होने वाली सात साल की अवधि में अपने उपग्रह में साझा स्थान (गैर-नकद प्रतिफल) प्रदान करके कंपनी को मुआवजा देगा। इंड एस 115 के पैरा 48 (डी) के अनुसार, इंड एस 115 के पैरा 66 के अनुसार, लेनदेन मूल्य 11,130 लाख रुपये (लागू जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है, जो प्रदान किए जाने वाले गैर-नकद विचार के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राहक सुविधा नवंबर 2020 से उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई। बाद की अवधि से संबंधित गैर-नकद विचार को "सेवाओं के लिए अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, खण्ड II के तहत आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया है।
47. कंपनी ने प्रमुख ग्राहकों से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध किया था, और बहुत कम ग्राहकों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। अंतर वाले ग्राहक लेखों का समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन का मत है कि, इस समाधान के कारण लाभ एवं हानि के विवरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट 48: वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	अनुपात	विवरण/ अंशांकक में प्रयुक्त सूत्र	विवरण/ हर में प्रयुक्त सूत्र	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	अंतर	अंतर के कारण
क	वर्तमान अनुपात (अवधि में)	कुल चालू परिसंपत्ति	कुल चालू देनदारियाँ	12.82	9.01	42%	व्यापार प्राप्य की वसूली और इसके विरुद्ध विक्रेता देनदारियों का भुगतान।
ख	ऋण-एक्विटी अनुपात (अवधि में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की कुल एक्विटी या निवल मूल्य	-	-	0%	-
ग	ऋण सेवा संरक्षण अनुपात (अवधि में)	करोपरान्त निवल लाभ+मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय+ब्याज व्यय	ब्याज व्यय+उधारी का पुनर्भुगतान	-	-	0%	-
घ	एक्विटी अनुपात से प्राप्ति (% में)	करोपरान्त लाभ	औसत शेयरधारक एक्विटी या औसत निवल मूल्य	3.24%	1.62%	100%	राजस्व में उल्लेखनीय कमी एवं परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ
ङ	माल व्यापार अनुपात	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	माल का औसतन मूल्य	0.02	0.05	-64%	कंपनी के पास नगण्य मात्रा में स्टॉक-इन-ट्रेड है और यह अनुपात वर्ष के दौरान बढ़ी हुई बिक्री से प्रभावित हुआ है।
च	व्यापार प्राप्य अनुपात (अवधि में)	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	औसत व्यापार प्राप्ति	0.34	0.60	-44%	वर्ष के दौरान राजस्व में उल्लेखनीय कमी। इसके अलावा, व्यापार प्राप्य शेष की महत्वपूर्ण राशि पुरानी प्राप्य से संबंधित है।
छ	व्यापार देय अनुपात (अवधि में)	माल की खपत और प्रदत्त सेवाओं की लागत+माल की खरीदारी	औसत व्यापार देय	0.39	0.95	-59%	वर्ष के दौरान सेवाओं की लागत में उल्लेखनीय कमी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्तियों की वसूली के विरुद्ध पुरानी विक्रेता देनदारियों का भुगतान
ज	निवल पूंजी व्यवसाय अनुपात (अवधि में)	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	औसतन कार्यशील पूंजी (यानि चालू परिसंपत्तियों में कुल चालू देनदारियाँ कम करने के बाद)	0.03	0.16	-78%	वर्ष के दौरान राजस्व में उल्लेखनीय कमी
झ	निवल लाभ का अनुपात (% में)	करोपरान्त लाभ	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	127.20%	13.74%	826%	बिक्री की लागत के उलट - वर्ष के दौरान घरेलू अतिरिक्त उपार्जन के आधार पर आगे बढ़ाया गया
ञ	निवेशित पूंजी से लाभ (% में)	करपूर्ण लाभ एवं वित्तीय लागत	निवल मूल्य+उधारी-आस्थागित कर परिसंपत्ति	4.46%	2.46%	82%	राजस्व में उल्लेखनीय कमी एवं परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ
ट	निवेश से लाभ (% में)	निवेशित निधि से उत्पन्न आय	औसत निवेश	-	-	0%	

49. अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च 2023 तक शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन का मत है कि, इस प्रकार की गैर-पुष्टि का वर्ष के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

50. 01.04.2005 से 31.03.2014 की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मांगे गए केवीएटी और सीएसटी से संबंधित आकस्मिक देनदारी रु. 1,44,440.44 नोट 42(i)(a)(i) के तहत प्रकट की गई है, इसमें मांग तिथि से तुलन पत्र तिथि तक ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।

51. प्रक्षेपण सेवा समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी "स्व-बीमा" नीति के माध्यम से ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यह नीति प्रक्षेपण चरण के दौरान शारीरिक चोट, मृत्यु और जिसमें इसरो प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करने में समर्पित और सह-यात्री ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में तीसरे पक्ष के उत्पादों की क्षति शामिल है। इसरो प्रत्येक प्रक्षेपण के संबंध में स्व-बीमा की नीति का पालन करता है, जिससे कंपनी द्वारा ली जाने वाली तृतीय पक्ष देयता (टीपीएल) बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
52. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	आईटी रिफंड देय पुस्तकों के अनुसार(₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत एक याचिका दायर की गई है।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2013-14	20.13	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग में अपील लंबित है
2017-18	2,083.39	आयकर विभाग में अपील लंबित है
2018-19	1,768.80	आईटीआर संसाधित हो गया है, तथापि, ऑर्डर कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई।
2019-20	5,097.78	आयकर विभाग में अपील लंबित है
2020-21	3618.80	आयकर विभाग में अपील लंबित है
2021-22	680.07	विवरणी अभी संसाधित नहीं हुई है
2022-23	199.93	विवरणी अभी फाइल की जानी बाकी है
कुल	16,905.14	

उपर्युक्त आयकर धनवापसी बकाया में टीडीएस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान सलाह/जानकारी के आधार पर स्रोतों से काटा गया कर शामिल है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन, जहां भी लागू हो, अंतर धनवापसी दावों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया है।

53. कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के एक तल को अंतरिक्ष विभाग (अ.वि) की एक स्वायत्त अभिकरण, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) को 50,000/- रुपये के मासिक किराए पर दिया है। इस संबंध में किराया समझौता अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। किराये के समझौते के निष्पादन तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किराये की आय का हिसाब संचय के आधार पर किया गया है।
54. कंपनी इंड एस 10 की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्ती क्रियाकलापों का प्रतिवेदन करती है:
 - i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर आधारित हैं। 05 जुलाई, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रति शेयर 1093.24 रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है, और यदि मंजूरी मिल जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप लगभग 7,434 लाख रुपये का नकदी प्रवाह होगा। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है।
55. मार्च 31, 2023/31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा हेतु अतिरिक्त नोट:
 - i. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा बही में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे खोज या सर्वेक्षण या आयकर के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम, 1961) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकटीकरण किया गया हो और इसका प्रकटीकरण न करने की भी कोई छूट नहीं है। पहले से दर्ज न की गई आय और संबंधित संपत्तियों का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे लेखा बही में दर्ज किया गया हो।
 - ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई संबंध नहीं है।
56. कोविड-19 (वैश्विक महामारी) का प्रभाव
 कंपनी भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा के रूप में सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी का अनुमान है कि कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए कोविड-19 का संचालन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालाँकि, ग्राहकों से बकाया राशि देर से मिलने की संभावना हो सकती है।
57. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार तुलनात्मक प्रकटीकरण प्रदान किया गया है।

कृते ए जॉन मोरिस एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार

कृते एवं एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल
 की ओर से

फर्म पंजीकरण संख्या 007220S

हस्ता/-

(के वी शिवकुमार)

भागीदार

सदस्यता संख्या 027437

यूडीआईएन: 23027437BGTTBY6720

बेंगलूरु

05 जुलाई, 2023

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष- सह- प्रबंधक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 08200144

बेंगलूरु

05 जुलाई, 2023

हस्ता/-


(मोहन महादेवन)

निदेशक

डीआईएन 07267450

बेंगलूरु

05 जुलाई, 2023



एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्षभवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु - 560 094

दूरभाष: +91 80 2217 8302/11 फैंक्स : + 91 80 2217 8337

वेबसाइट : www.antrix.co.in